माननीय स०वि०स० श्री मो० नवाज आलम के द्वारा बिहार विधान सभा के चलते/आगामी अधिवेशन में तिथि–06.03.2017 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–**P-07** की उत्तर सामग्री।

क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा विधान सभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति 2016 एवं 2017 में नहीं दिया गया है, यदि हाँ तो सरकार दो वर्षों से बन्द पड़े छात्रवृत्ति की राशि कबतक देना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	**अस्वीकारात्मक।** वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2016–17 में प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति में आरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत रू० 351.34 लाख (रू० तीन करोड़ इकावन लाख चौतीस हजार) की राशि 28795 (अठाईस हजार सात सौ पंचानवे) छात्र/छात्राओं के बीच वितरित की गई। वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण करने हेतु शिक्षा विभाग को राशि आवंटित की गई है। वर्ष 2016–17 हेतु आरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 217 (दो सौ सत्रह) छात्र/छात्राओं के बीच रू० 20.49516 (रू० बीस लाख उनचास हजार पाँच सौ सोलह) मात्र की राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP2.0) के माध्यम से आमंत्रित किए गये हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20.03.2018 है।

माननीय स०वि०स० श्री अचमित ऋषिदेव द्वारा बिहार विधान सभा के चलते/आगामी अधिवेशन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–पि०–06 की उत्तर सामग्री।

क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज में पिछड़े वर्ग की कन्याओं के लिए आवासीय उच्च विद्यालय नहीं है, जबकि इस प्रखंड में पिछड़े वर्ग की जातियों की संख्या सर्वाधिक है; यदि हाँ तो क्या सरकार रानीगंज में पिछड़े वर्ग की कन्याओं के लिए आवासीय उच्च विद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए कुल 12 अन्य पिछड़ा कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित हैं जिनमें वर्ग–6 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित की जाती हैं। वर्तमान में अररिया जिले के रानीगंज में पिछड़े वर्ग की कन्याओं के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

ता.- 428

श्री आबिदुर रहमान, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–123

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(क)	क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत अररिया प्रखण्ड के दियारी कोजगॉवा, कुसियार गॉंव पंचायत सहित प्रखण्ड के अन्य 27 पंचायतों में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय भवनहीन है, फलतः विद्यालयों के बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ते हैं, जबकि उक्त विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ तो सरकार उक्त भवनहीन नवसृजित विद्यालयों का भवन कब तक बनवाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिला के अररिया प्रखण्ड अंतर्गत कुल भवनहीन नवसृजित विद्यालयों की संख्या 68 है, जिसमें से 20 नवसृजित विद्यालय को भूमि उपलब्ध है। सर्व शिक्षा अभियान, अररिया के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017–18 में भवन निर्माण मद में राशि स्वीकृत नहीं है। राशि स्वीकृत होने के बाद भवन निर्माण कार्य कराया जाएगा। भूमिहीन विद्यालयों के लिए भूमि उपलब्ध होने के उपरांत भवन निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01–30/2018......296....../

पटना, दिनांक 05/03/18

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

आ०सू०-41

श्री जीवेश कुमार, स०वि०स० से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–09		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
(1)	क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के कुल 8391 पंचायतों में से अभी भी 2860 पंचायतों में हाई स्कूल नहीं है ;	स्वीकारात्मक है।
(2)	क्या यह बात सही है कि 2016–2017 में केवल दो हाई स्कूल एवं 2017–2018 में एक हाई स्कूल का सरकार द्वारा स्थापना हुआ है;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2013 के तहत प्रत्येक पंचायत को उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित करने का निर्णय संसूचित है। इस हेतु निर्धारित मापदण्ड को पूरा करने वाले मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया जाता है।
(3)	क्या यह बात सही है कि बिहार के 64% स्कूलों में बिजली नहीं है;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि यू–डाइस 2017 के आंकड़ा के अनुसार राज्य के 18.30 प्रतिशत विद्यालयों में विधुत कनेक्शन नहीं है।
(4)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शेष 2860 पंचायत में हाई स्कूल खोलने एवं बिजली से वंचित विद्यालय में विद्युती करण का विचार रखती है हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2013 संशोधन करते हुए संकल्प संख्या–141 दिनांक–07.02.2018 द्वारा भूमि संबंधित आवश्यक मापदण्ड को 100 डिसमिल से घटाकर 75 डिसमिल किया गया है। साथ ही, विभागीय पत्रांक–130 दिनांक–05.02.2018 के द्वारा इस ओर सभी जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय ~~की स्थापना~~ का उत्क्रमण करने हेतु आवश्यक पहल करने हेतु कहा गया है। साथ ही विभागीय पत्रांक 519 दिनांक 5.3.18 के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को विधुत कनेक्शन विहीन माध्यमिक विद्यालयों में विधुत कनेक्शन कराने हेतु निदेशित किया गया है।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि0स0 05–71/2018 520 पटना, दिनांक 05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के ज्ञाप सं० प्र०–2681–82 दिनांक–27.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता- 432

बिहार विधान सभा में श्री रामप्रीत पासवान, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–189		श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय शिक्षा मंत्री का उत्तर	
(क)	क्या यह बात सही है कि जिला मधुबनी के फुलदेवी कुशेश्वर झा महाविद्यालय अन्धराठाढ़ी को दिनांक 19.03.1981 से राज्य सरकार का संबंधन प्राप्त है और 28.08.1981 को महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग में शिक्षकों का एक–एक वित्त सहित कुल 17 सृजित पद पर स्थायी नियुक्ति हेतु सरकार से अनुमोदन प्राप्त है, यदि हाँ तो सरकार उक्त महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के वेतन का भुगतान कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	(क)	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–354 दिनांक 19.03.1981 द्वारा I.A, I.Sc एवं I.Com हेतु मात्र दो सत्रों (1979–80 एवं 1980–81) के लिए ही संबंधन दिया गया था एवं तदालोक में विभागीय पत्रांक–1504 दिनांक 28.08.1981 द्वारा कुल 18 पद (प्राधानाचार्य सहित) स्वीकृत किया गया था। पुनः फुलदेवी कुशेश्वर झा महाविद्यालय अन्धराठाढ़ी को विभागीय पत्रांक–447 दिनांक 22.03.2006 द्वारा सत्र 1998–99 से स्थायी संबंधन प्रदान किया गया है। विचाराधीन महाविद्यालय एक वित्त संपोषित महाविद्यालय है। वित्तरहित शिक्षा नीति की समाप्ति के उपरांत राज्य सरकार द्वारा छात्र उतीर्णता के आधार पर अनुदान की राशि दी जा रही है एवं इस अनुदान का उपयोग महाविद्यालयो के प्रबंध समिति द्वारा शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भुगतान पर किया जाता है।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार

ज्ञापांक:–14/ए–11–05/18– 260 पटना, दिनांक 05/03/2018

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्रांक 2705–06 दिनांक 28.02.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:–प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार

नत- 433

श्री रामसेवक सिंह, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा-161	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला में हथुआ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सभी उच्च विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 5 वर्ष पूर्व विद्यालय भवन का निर्माण किया गया है, परन्तु अभी तक निर्मित्त विद्यालय भवनों को विद्यालय प्रशासन को सौंपा नहीं गया है, यदि हाँ तो सरकार निर्मित्त विद्यालय को विद्यालय प्रशासन को हस्तगत कराते हुए दोषी के विरूद्ध कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गोपालगंज ने अपने पत्रांक-26 दिनांक-05.03.2018 द्वारा सूचित किया है कि गोपालगंज जिले में पूर्व के वर्षों में 91 विद्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा था, जिसमें से 46 विद्यालय भवन संबंधित विद्यालय प्रशासन को सौंप दिया गया है, शेष विद्यालयों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज को कार्यालय पत्रांक-412 दिनांक-05.03.2018 द्वारा यह निदेशित किया गया है कि जिन-जिन विद्यालयों का निर्माण कार्य जैसे-जैसे पूर्ण हो, उसका हस्तानान्तरण संबंधित विद्यालय प्रशासन को कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि0स0 05-65/2018 515 पटना, दिनांक 05.3.18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के ज्ञाप सं० प्र०-2633-34 दिनांक-27.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ना- 434

श्री महबूब आलम, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–213

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(क)	क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बारसोई प्रखंड अंतर्गत लगुआ दास ग्राम पंचायत का लगुआ गांव महानन्दा नदी की शाखा द्वारा उत्तर दक्षिण दो भाग में विभाजित है, उत्तर लगुआ की आबादी एक हजार की होने के बावजूद एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है, यदि हाँ तो सरकार उक्त गाँव में कब तक प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के बारसोई प्रखंड अंतर्गत लगुआ दास ग्राम पंचायत का लगुआ गांव के टोला उत्तर लगुआ से लगभग 900 मीटर की दूरी पर मध्य विद्यालय दासग्राम, बारसोई अवस्थित है। मध्य विद्यालय दासग्राम एवं टोला उत्तर लगुआ दोनों ही महानन्दा नदी के एक ही ओर अवस्थित है। बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 एवं तदआलोक में अधिसूचित नियमावली 2011 के तहत प्रत्येक बसाव क्षेत्र/टोला के एक किलोमीटर की परिधि में एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया जाना है। अतः उक्त स्थल पर प्राथमिक विद्यालय खोला जाना नियमानुकूल नहीं है।

5/3/2018
उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01– 44/2018...307.../ पटना, दिनांक 05/03/18/

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/18
उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ता-435

श्रीमती पूनम पासवान, स०वि०स० द्वारा दिनांक 06.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा-134	माननीय मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, बतलाने की कृपा करेंगे की	
(1). क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के कोढ़ा विधान सभा क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण छात्र एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए 30 कि०मी० दूर पूर्णियाँ जाना पड़ता है, यदि हाँ तो सरकार कोढ़ा विधान सभा क्षेत्र में दो डिग्री कॉलेज कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुतः राज्य के वर्तमान नीति के तहत सिर्फ वैसे अनुमण्डलों में सरकारी डिग्री कॉलेज स्थापित करने का निर्णय है, जहाँ पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय स्थापित नहीं है। कटिहार जिले में मनिहारी अनुमण्डल उस कोटि के अनुमण्डलों में शामिल है, जहाँ विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 43 दिनांक 30.08.2013 द्वारा डिग्री महाविद्यालय स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। विधान सभावार डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। कोढ़ा विधान सभा कटिहार अनुमण्डल के अन्तर्गत है, जहाँ पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय के रूप में डी०एस० कॉलेज कटिहार, एम०जे०एम० महिला कॉलेज, कटिहार एवं के०बी० झा कॉलेज, कटिहार संचालित है।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
शिक्षा विभाग

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार

ज्ञापांक 15/ए 3–12/2018–357 पटना, दिनांक 05/3/2018

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या 2403–2404 दिनांक 23.02.2018 के प्रसंग में/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा –1, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
शिक्षा विभाग

vidhan sabha question answer 2018

M-439

श्री अभय कुमार सिन्हा, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–170		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
01	क्या यह बात सही है कि गया जिला के कोंच प्रखण्ड के गरारी पंचायत में उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण इस पंचायत के छात्रों को अरवल जिला के कुर्ता में उच्च विद्यालय में दाखिला लेना पड़ता हैं, जो इस पंचायत के लगभग 10 कि०मी० दूर हैं, जिसके कारण छात्रों को पठन–पाठन में असुविधा होती है, यदि हाँ तो सरकार उक्त गरारी पंचायत में एक उच्च विद्यालय की स्थापना करने का कबतक विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि गरारी पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय अवस्थित नहीं है। विभागीय संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2013 के तहत माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में वैसे मध्य विद्यालय जिनके पास 1 से 1.5 एकड़ भूमि एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की आधारभूत संरचना को विकसित करने हेतु न्यूनतम 40 डिसमिल खाली भूमि की उपलब्धता के आधार पर ही चिन्हित मध्य विद्यालय का उत्क्रमण किया जा सकता है। प्रश्नगत मध्य विद्यालय को उक्त मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध नहीं है। इसी क्रम में उक्त संकल्प में संशोधन करते हुए संकल्प संख्या–141 दिनांक–07.02.2018 द्वारा भूमि संबंधित आवश्यक मापदण्ड को 100 डिसमिल से घटाकर 75 डिसमिल किया गया है। अतएव संशोधित संकल्प के आलोक में उक्त पंचायत के संदर्भ में जिला स्तरीय समिति से याचित अनुशंसा पुनः प्राप्त होने के उपरांत प्रश्नगत पंचायत के मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने पर विचार किया जायेगा।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

<u>शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।</u>

ज्ञापांक 11/वि0स0 05–74/2018 405 पटना, दिनांक 05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के ज्ञाप सं० प्र०–2651–52 दिनांक–27.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता. 440

श्री बशिष्ठ सिंह, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–183	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड कोचस में उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कुरसा का भवन निर्माण कार्य 2014 में प्रारंभ हुआ था, परन्तु निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ जिसके कारण छात्र/छात्राओं का पठन–पाठन नहीं हो रहा है, यदि हाँ तो सरकार उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कार्य कबतक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, सैदपुर, पटना के अधीन रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड कोचस में उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कुरसा के निर्माण हेतु संवेदक "श्री विकास कुमार" से एकरारनामा संख्या 86 SBD of 2014–15 दिनांक–20.02.2014 को किया गया था। संवेदक द्वारा भूतल की ढलाई का कार्य पूर्ण कर प्रथम तल की ईट जोड़ाई का कार्य आंशिक रूप से किया गया है। संवेदक "श्री विकास कुमार" की दुर्घटना में असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण कार्य बाधित हो गया है। शेष बचे कार्य को पूर्ण करने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि0स0 05–81/2018 ...407 पटना, दिनांक 05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के ज्ञाप सं० प्र०–2693–94 दिनांक–28.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता॰ - 441

श्री विजय प्रकाश, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–152

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(क)	क्या यह बात सही है कि जमुई जिला अन्तर्गत जमुई प्रखण्ड में कवैया मुशहरी में नवीन प्रा० विद्यालय के निर्मित भवन को तोड़ कर उक्त भूमि को दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर लिये जाने के कारण कवैया मुशहरी के महादलित बच्चों को पढ़ने का कोई साधन नहीं रह गया है, यदि हाँ तो सरकार उक्त अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवा कर, नये स्कूल भवन कब तक बनवाना चाहती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि जमुई जिला अन्तर्गत जमुई प्रखण्ड में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कवैया मुशहरी का भवन जर्जर रहने के कारण वर्तमान में कवैया में अवस्थित सामुदायिक भवन में विद्यालय का संचालन हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2006–07 के अंतर्गत नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कवैया मुशहरी के भवन निर्माण हेतु राशि निर्गत की गई थी, किंतु भूमि विवाद के कारण भवन निर्माण नहीं किया जा सका है। भवन निर्माण की राशि विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा वापस कर दी गई। भूमि की स्थिति की जाँच करने हेतु अंचलाधिकारी से अनुरोध किया जा रहा है। भूमि विवाद का निराकरण के बाद उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु कार्रवाई की जा सकेगी।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01–31/2018...300.../ पटना, दिनांक 05/03/18

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ता0-448

श्री राम विलाश पासवान, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–160		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
(1)	क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के कहलगाँव प्रखण्ड अंतर्गत सदानन्द बैसा पंचायत के राजकीय उच्च विद्यालय अकबरपुर में +2 का भवन अधूरा है एवं 350 बच्चे +2 में नामांकित है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि +2 भवन निर्माण हेतु ग्रामीण कार्य विभाग को 20,45,000 (बीस लाख पैतालीस हजार) जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के पत्रांक–35 दिनांक–09.01.2014 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। जिसके तहत प्रथम तल में तीन कमरा एवं द्वितीय तल पर तीन कमरा निर्माणाधीन है। उक्त विद्यालय के +2 संकाय में एक भी छात्र/छात्रा अध्ययनरत नहीं है।
(2)	क्या यह बात सही है कि भवन के अभाव में 10+2 के बच्चों का पढ़ाई प्रारंभ नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक है।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त विद्यालय में 10+2 के भवन को बनाकर कबतक पढ़ाई प्रारंभ करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि उक्त भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध होने के उपरांत 10+2 संकाय में अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

(ह०) 5/3/2018
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि0स0 05–76/2018 ...424   पटना, दिनांक ..05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के ज्ञाप सं० प्र०–2631–32 दिनांक–27.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ह०) 5/3/2018
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता-449

श्री डॉ० मो० जावेद, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक 06.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–208 का उत्तर सामग्री।

क्या मंत्री शिक्षा विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि :–

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(क)	क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला में वर्ष–2016–17 में अल्पसंख्यक गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्र–छात्राओं को पोषाक योजना एवं छात्रवृति योजना अंतर्गत लाभ दिया गया था, परन्तु वर्ष–2017–18 में विभागीय पत्र में उक्त योजना अन्तर्गत अल्पसंख्यक गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसा सम्मिलित नहीं होने के कारण उक्त मदरसों के छात्र–छात्राएं लाभ से वंचित हैं, यदि हाँ तो सरकार किशनगंज जिला के अल्पसंख्यक गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्र–छात्राओं को वर्णित योजना का लाभ कब तक देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज के द्वारा यह सूचित किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से प्राप्त आवंटनादेश/स्वीकृत्यादेश में अल्पसंख्यक मदरसा उल्लेखित रहने के कारण लाभुक आधारित योजनाओं यथा साईकिल, पोशाक, छात्रवृति का लाभ छात्र/छात्राओं को दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अंतर्गत राजकीय/राजकीयकृत/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय के कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर मुख्यमंत्री पोशाक/बालिका पोशाक/छात्रवृत्ति लाभुक आधारित योजना की राशि वितरित की जाती है।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 09/बि.वि. स.–. 15 /2018 133 / पटना, दिनांक 5/03/2018

प्रतिलिपि :– 1. प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञाप सं0प्र0–2727–28 दिनांक 28.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ता- 450

श्री डॉ० शमीम अहमद, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–211	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के बनकटवा प्रखंड के बीजबन्नी पूर्वी पंचायत के 5 हजार आवादी वाला गाँव आठ महीने में मध्य विद्यालय है; परन्तु उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण उक्त पंचायत के बच्चे 8 कि0मी0 की दूरी तय करके अन्यत्र स्थान पर शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, यदि हाँ तसे सरकार उक्त मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित कबतक करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प 1021 दिनांक–05.07.2013 में निहित प्रावधान के आलोक में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाती है। प्रश्नगत पंचायत के लिए जिला स्तरीय समिति से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत अनुशंसित मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि0स0 05–80/2018 ...506 पटना, दिनांक 05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के ज्ञाप सं० प्र०–2729–30 दिनांक–28.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता॰ - 455

श्री सरोज यादव माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 06.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–164 का उत्तर सामग्री।

क्या मंत्री शिक्षा विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि :–

श्री सरोज यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 06.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–164.	श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत शहीद राजनाथ सिंह कॉलेज पैगा, बड़हरा, भोजपुर की संबद्धता फर्जी होने के कारण वर्ष 2017 में रद्द कर दी गई है, लेकिन फर्जीवाड़ा करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा कॉलेज प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हॉं तो सरकार उक्त कॉलेज प्रबंधन, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा यह सूचित किया गया है कि जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक–2444/गो0, दिनांक–03.09.2016 के द्वारा प्रश्नाधीन विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन से संबंधित जाँच प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि संस्था द्वारा बिहार परीक्षा समिति सम्बद्धता विनियमावली–2011 के अध्याय–II के विनियम–3 में उल्लेखित शर्त्तो का स्पष्ट रूप से उलंघन किया गया है तथा निर्धारित मानकों/अहत्ताओं को पूरा नहीं किया गया है। समीक्षोपरान्त समिति पत्रांक–स्था0/प्रे0/4077, दिनांक 12.04.2017 के द्वारा शहीद राजनाथ सिंह, उच्च माध्यमिक विद्यालय, पैगा, बड़हरा, भोजपुर की सम्बद्धता रद्द की गयी है। विभागीय पत्रांक 122 दिनांक 05.03.2018 के द्वारा फर्जीवाड़ा करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा कॉलेज प्रबंधन पर कार्रवाई करने हेतु सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निदेश दिया गया है।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 09/बि0वि0स0–14/2018 ...124... पटना दिनांक 05/3/2018

प्रतिलिपि : 1. प्रशाखा पदाधिकारी बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञाप/सं0प्र0/2639–40 वि०स० दिनांक 27.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

2. संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा–1 शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता०- 457

श्री सैयद अबु दौजाना, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–140

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(क)	क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखण्ड अंतर्गत सुरसंड उर्दू प्राथमिक विद्यालय एवं बनटोलवा में प्राथमिक विद्यालय है;	वस्तुस्थति यह है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखण्ड अंतर्गत उर्दू प्राथमिक विद्यालय है, जो प्राथमिक विद्यालय मकतब सुरसंड के नाम से अवस्थित है तथा ग्राम–बनटोलवा में प्राथमिक विद्यालय सुन्दरपुर मतौना है।
(ख)	क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम के बच्चों को मध्य विद्यालय में पठन–पाठन हेतु 2 कि०मी० की दूरी तय करके अन्यत्र स्थान पर जाना पड़ता है जिसे बच्चों को कठिनाई होती है;	वस्तुस्थति यह है कि प्राथमिक विद्यालय मकतब सुरसंड के बगल में मध्य विद्यालय सुरसण्ड बाजार तथा मध्य विद्यालय बालिका सुरसंड आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। ग्राम– बनटोलवा में मध्य विद्यालय बनटोलवा अवस्थित है, जो प्राथमिक विद्यालय सुन्दरपुर मतौना से लगभग दो किलोमीटर की दुरी पर है। बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 एवं तद्आलोक में अधिसूचित नियमावली 2011 के तहत प्रत्येक बसाव क्षेत्र/टोला के तीन किलोमीटर की परिधि में एक मध्य विद्यालय की स्थापना किया जाना है। अतः उक्त स्थल पर मध्य विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है।
(ग)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त गाँव में स्थित प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर उपर्युक्त कंडिका में सन्निहित है।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01–37/2018......293......./ पटना, दिनांक ..05/03/18

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

तां0-458

श्री महेश्वर प्रसाद यादव, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–150

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(क)	क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट प्रखण्ड के भवनहीन उर्दू प्राथमिक विद्यालय जाया के नाम से जमीन रजिस्ट्री करके स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अस्थायी भवन बना दिया गया है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
(ख)	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गायघाट एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के आदेश के बावजूद उक्त विद्यालय को विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उक्त भवन में नहीं ले जाया जा रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट प्रखण्ड के उर्दू प्राथमिक विद्यालय जाया को ग्रामीणों द्वारा निर्मित अस्थायी भवन में ले जाने की आवश्यक प्रक्रिया की जा रही है। विद्यालय को निर्धारित स्थल पर संचालित कराने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया है।
(ग)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त विद्यालय को ग्रामीणों द्वारा निर्मित भवन में कब तक ले जाने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	उत्तर उपर्युक्त कंडिका में सन्निहित है।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01– 37/2018......305....../ पटना, दिनांक ..05/03/18

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ता– 459

डॉ० रामानुज प्रसाद, स०वि०स० द्वारा दिनांक 06.03.18 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा– 132	माननीय मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
(1). क्या यह बात सही है कि जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा से 32 कॉलेज संबद्ध है, जिसमें 47000 छात्र/छात्राएँ पूर्व स्नातक (अंडर ग्रेजुएट) और स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) में अध्ययनरत है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुतः जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के नियंत्रणाधीन कुल 21 अंगीभूत महाविद्यालय एवं 11 संबद्ध महाविद्यालय है, जहाँ एक सत्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में कुल मिलाकर 37000 विद्यार्थी अध्ययनरत होते है।
(2). क्या यह बात सही है कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 750 पद स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध मात्र 300 शिक्षक कार्यरत है, जिसके कारण छात्र/छात्राओं का पठन–पाठन में कठिनाई होती है ;	विश्वविद्यालय के प्रतिवेदनानुसार विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों के कुल 836 पद स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध विरूद्ध कुल 355 शिक्षक कार्यरत है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में 08 विभिन्न विषयों में 178 पदों पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय को अनुशंसा भेजी जा चुकी है एवं नियुक्ति की कार्रवाई की कार्रवाई भी हो चुकी है। पूर्व में जो अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गयी है, उसमें से शेष विषयों में भी नियुक्ति की कार्रवाई हेतु अन्तर्वीक्षा लिया जा रहा है। शीघ्र ही नियुक्ति हो जाएगी। राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के रिक्त पदों पर त्वरित गति से नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन भी किया जा चुका है। शीघ्र ही यह आयोग संचालित होगा एवं सभी रिक्त पदों नियुक्ति की कार्रवाई सम्पन्न करायी जाएगी।
(3). यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालय के रिक्त पदों पर शिक्षक की नियुक्ति कर शिक्षा व्यवस्था दुरूस्त करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर उपर्युक्त खण्ड 02 में सन्निहित है।

ह0/–
सरकार के उप सचिव,
शिक्षा विभाग

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार

ज्ञापांक 15/ए 3– 11/2018–362 पटना, दिनांक 05/3/ 2018

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या 2399–2400 दिनांक 23.02.2018 के प्रसंग में/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा –1, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/03/18

सरकार के उप सचिव

vidhan Sabha question answer 2018

तारा0-460

श्री प्रभुनाथ प्रसाद, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–73	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के चरपोखरी प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम कुम्हैला के उच्च विद्यालय में 300 छात्रों पर मात्र एक शिक्षक 2 वर्ष से कार्यरत है, जिससे छात्रों के पठन–पाठन में कठिनाई हो रही है ; यदि हाँ तो सरकार मानक के अनुरुप उक्त विद्यालय में शिक्षकों की पदस्थापना करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुम्हैला में वर्ग नवम् मे 90 छात्र/छात्रा एवं वर्ग दशम 142 छात्र/छात्रा नामांकित है, उनके पठन पाठन हेतु कुल 04 वर्ग–कक्ष उपलब्ध है। उक्त विद्यालय में 01 माध्यमिक शिक्षक कार्यरत हैं। मध्य विद्यालय के स्नातक योग्यताधारी शिक्षक द्वारा माध्यमिक प्रक्षेत्र में भी पठन पाठन का कार्य किया जाता है।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि0स0 05–11/2018 391 पटना, दिनांक 05.3.18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के पत्रांक 1588–89 दिनांक–12.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता-461

श्री फैयाज अहमद, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा-35		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-		
(1)	क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के रहिका प्रखण्डान्तर्गत आधारभूत संरचना के द्वारा उच्च विद्यालय, मलंगिया का भवन 2016-17 से बनकर तैयार है;	स्वीकारात्मक है।
(2)	क्या यह बात सही है कि उक्त भवन को आजतक विद्यालय के हस्तांतरण नहीं किया गया है, जिससे छात्र/छात्राओं का पठन-पाठन बाधित हो रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय के नये भवन का निर्माण बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना (BSEIDC) के द्वारा कराया गया है और संबंधित कार्यपालक अभियंता, दरभंगा प्रमण्डल ने इसे दिनांक 16.08.2016 को हस्तांतरित कराने की सूचना दी है, जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी ने यह सूचित किया है कि उक्त नये भवन का हस्तांतरण विद्यालय को अभी तक नहीं कराया जा सका। उक्त विरोधाभाष की ओर ध्यानाकृष्ट करते हुए विभागीय पत्रांक-413 दिनांक-05.03.2018 के द्वारा प्रबंध निदेशक, BSEIDC को प्रश्नगत विद्यालय भवन का हस्तांनांतरण संबंधित प्रधानाध्यापक को अविलम्ब कराते हुए हस्तानान्तरण में हुए विलम्ब के लिए दोषी को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु कहा गया है।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त निर्मित्त भवन को कबतक विद्यालय को हस्तांतरित कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में उत्तर सन्निहित है।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

<u>शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।</u>

ज्ञापांक 11/वि०स० 5-04/2018 418 पटना, दिनांक 05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के पत्रांक 1231-32 दिनांक-10.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/18

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

नT-4162

श्री वशिष्ठ सिंह, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–167		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
	क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड करगहर में उत्क्रमित उच्च विद्यालय रूपैठा का भवन निर्माण कार्य 2015 में प्रारंभ हुआ था, परन्तु जनवरी 2017 से निर्माण कार्य बंद होने के कारण के कारण भवन के अभाव में उच्च विद्यालय के छात्र/छात्राओं का शिक्षण कार्य नहीं हो पा रहा है, यदि हॉ तो सरकार उक्त उत्क्रमित उच्च विद्यालय भवन का निर्माण कार्य कबतक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, सैदपुर, पटना द्वारा प्रखण्ड करगहर में उत्क्रमित मध्य विद्यालय रूपैठा एवं मध्य विद्यालय मनियारी के निर्माण हेतु समेकित रूप से एकरारनामा दिनांक–15.12.2014 को किया गया था। संवेदक द्वारा मध्य विद्यालय मनियारी का भवन निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय रूपैठा के भूतल एवं प्रथम तल की संरचना का कार्य पूर्ण हो चुका है। भूतल पर अन्दरूनी प्लास्टर का कार्य पूर्ण है। भवन के शेष कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि०स० 05–69/2018 423 पटना, दिनांक 05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–2645–46 दिनांक–27.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

तारां०-464

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–188		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
	क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के दुल्हपुर पंचायत स्थित हाई स्कूल की घेराबंदी आज तक नहीं होने कारण वहाँ पढ़ रहे बच्चों को पठन–पाठन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो सरकार उक्त वर्णित स्कूल की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि दुल्लहपुर पंचायत स्थित कस्तुरबा उत्क्रमित उच्च विद्यालय दुल्लहपुर के BSEIDC द्वारा नवनिर्मित भवन में पठन–पाठन कार्य सुचारू रूप से संचालित है। शिक्षा विभाग अन्तर्गत विद्यालयों के चाहरदिवारी निर्माण संबंधी कोई योजना स्वीकृत नहीं है। विद्यालय में चाहरदिवारी का निर्माण योजना एवं विकास विभाग अन्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत की जा सकती है।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि0स0 05–77/2018 ५११७ पटना, दिनांक 05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के ज्ञाप सं० प्र०–2703–04 दिनांक–28.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता० - 465

बिहार विधान सभा के लिए श्री आंनद शंकर सिंह, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न स० शिक्षा–195 का प्रश्नोत्तर :–

श्री आंनद शंकर सिंह, माननीय स० वि० स० प्रश्न	माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	
(क) क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि–क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद नगर अवस्थित सेन्ट्रल लाईब्रेरी जीर्ण–शीर्ण अवस्था मे रहने के कारण उक्त लाईब्रेरी में रखी पुस्तकें एवं लिपियां असुरक्षित है, एवं पाठकों को भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, यदि हॉं तो सरकार कबतक औरंगाबाद सेन्ट्रल लाईब्रेरी का जीर्णोद्वार कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	स्वीकारात्मक । जिला केन्द्रीय पुस्तकालय औरंगाबाद का अपना निजी भवन है। पुस्तकालयों के सफल संचालन एवं उत्तम प्रबंधन हेतु गठित प्रबंध कारिणी समिति के अध्यक्ष जिला पदाधिकारी औरंगाबाद से भवन के जीर्णोद्वार, हेतु पत्रांक–75 दिनांक–05.03. 2018 द्वारा प्रस्ताव एवं प्राक्लन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। साथ ही पुस्तकें एवं लिपियां को सुरक्षित रखने तथा पाठक गण के सुविधाओं के लिए उनके स्तर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्रवाई की जायेगी।

उप सचिव
(शिक्षा विभाग)

ज्ञापांक 76 /

पटना दिनांक 5/3 /2018

प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार पटना एवं संबंधित विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव
शिक्षा विभाग बिहार
पटना

ता० - 468

बिहार विधान सभा के लिए श्री ललित कुमार यादव, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न स० शिक्षा–07 का प्रश्नोत्तर :–

श्री ललित कुमार यादव, माननीय स० वि० स० प्रश्न	माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–	
(क) क्या यह बात सही है कि स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक–04.01.2018 को प्रकाशित चार साल से नही खरीदी गई एक भी किताब, शीर्षक को ध्यान मे रखते हुए क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :– क्या यह बात सही है कि राज्य में 38 पब्लिक लाईब्रेरी मे किताबों की खरीद के लिए प्रति वर्ष एक करोड़ रूपये का प्रावधान 2012–13 में किया गया, परन्तु मात्र दो वर्ष अनुदान मिलने के बाद 2014–15 से यह राशि बन्द कर दी गई जिसके कारण गरीब विद्यार्थियों को पठन–पाठन मे कठिनाई हो रही है, यदि हा तो सरकार उक्त पब्लिक लाईब्रेरी को किताब की खरीद हेतु कबतक अनुदान की राशि देने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	आंशिक रूप से स्वीकरात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकत्ता एवं राज्य सरकार के संयुक्त निधि (60:40) अनुपात में कुल एक करोड़ रूपये का अनुदान पुस्तक क्रय हेतु प्राप्त हुआ था। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य के सार्वजनिक एवं 48 अराजकीय वर्गीकृत पुस्तकालयो के लिए पुस्तक क्रय की कारवाई विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

उप सचिव
(शिक्षा विभाग)

ज्ञापांक 71 /

पटना दिनांक 27.2. /2018

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय एवं संबंधित विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव
शिक्षा विभाग बिहार
पटना

ता0-470

श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–99		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
1.	क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखण्ड के ग्राम पंचायत चेंव में मध्य विद्यालय, चेंव अवस्थित है ;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त इलाके के बच्चों को 6 कि0 मी0 दूर जाने के बाद उच्च विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करना पड़ता हैं, जबकि वर्णित विद्यालय के पास उच्च विद्यालय के निर्माण हेतु जमीन भी उपलब्ध हैं,	वस्तुस्थिति यह है कि उक्त पंचायत में मध्य विद्यालय चेंव से लगभग 4 कि0मी0 की दूरी पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय, सरॉवक अवस्थित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मध्य विद्यलाय चेंव को कबतक उत्क्रमित कराने का विचार रखती हैं, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प 1021 दिनांक 05.07.2013 में निहित प्रावधान के आलोक में माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना किया जाना है। प्रश्नगत पंचायत में पूर्व से उच्च विद्यालय सरॉवक अवस्थित है। अतएव मध्य विद्यालय, चेंव को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण करने का विचार तत्काल नहीं है।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि0स0 05–36/2018 386 पटना, दिनांक 05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के ज्ञाप सं० प्र०–2511–12 दिनांक–15.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता०-471

श्री रामचन्द्र सहनी, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–148		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
	क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत प्रखण्ड–रामगढ़वा में उत्क्रमित उच्च विद्यालय, अहिरौलिया में वर्ग कमरों के अभाव में नामांकित छात्र/छात्राओं को पठन–पाठन में असुविधा होती हैं, यदि हाँ तो सरकार उत्क्रमित उच्च विद्यालय, अहिरौलिया में वर्ग कमरों का नव निर्माण कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय, अहिरौलिया में मध्य विद्यालय में शिक्षण हेतु 11 वर्ग कक्ष एवं 1 कार्यालय कक्ष उपलब्ध है। उक्त 11 वर्ग कक्ष में से 2 वर्ग कक्ष में माध्यमिक कक्षा का संचालन किया जाता है। संबंधित मद में बजटीय उपबंध उपलब्ध होने पर भवन निर्माण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि0स0 05–57/2018 ..388 पटना, दिनांक 05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के ज्ञाप सं० प्र०–2480–2481 दिनांक 26.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

अ०-472

श्री कुमार सर्वजीत, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 06.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–109 का उत्तर सामग्री।

क्या मंत्री शिक्षा विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि :–

श्री कुमार सर्वजीत, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 06.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–109.	श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में इंटर वार्षिक परीक्षा, 2018 की प्रायोगिक परीक्षा के केन्द्र का निर्धारण बोर्ड द्वारा सभी जिलों का भौतिक सत्यापन किये बिना ही यह काम फोन से कर लिय गया है,	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सूचित किया गया है कि प्रत्येक जिला में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित परीक्षा केन्द्र चयन समिति की अनुशंसा पर जिलाधिकारी से प्राप्त सूची के अनुसार ही प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र बनाये गये है।
(2) क्या यह बात सही है कि सभी जिलों में प्रायोगिक परीक्षा के लिए कहीं उपकरण नहीं है तो कहीं लैब की व्यवस्था नहीं होने के कारण इंटर के छात्र एवं छात्राओं को प्रायोगिक परीक्षा देने में कठिनाई हुई है ;	स्वीकारात्मक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य के 2000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं 4000 माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला उपकरणों की आपूर्त्ति हेतु 22000.00 लाख (दो अरब बीस करोड) रुपये व्यय एवं विमुक्ति की कार्रवाई की जा रही है, जिससे विद्यालयों को उपकरणों की आपूर्त्ति की जायेगी।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्यार सरकार बोर्ड द्वारा भौतिक सत्यापन न कर फोन से परीक्षा केन्द्र निर्धारण करने का क्या औचित्य है ?	वस्तुस्थिति कंडिका–1 स्पष्ट कर दिया गया है।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 09/बि0वि0स0–09/2018 126
पटना दिनांक 5/3/2018

प्रतिलिपि : 1. प्रशाखा पदाधिकारी बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञाप सं0प्र0–2122–23 वि०स० दिनांक 17.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

2. संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा–1 शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

तारा० - 476

...0 आफाक आलम, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–04	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिलान्तर्गत कसबा प्रखण्ड में स्थित के०डी० उच्च विद्यालय में 10+2 की पढ़ाई होती है, परन्तु उक्त विद्यालय में भौतिकी, रसायन शास्त्र, अंग्रेजी, गणित, जन्तु विज्ञान विषय के शिक्षक विगत 5 वर्षों से नहीं होने के कारण छात्राओं को पठन–पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हां तो सरकार उक्त विद्यालय में उक्त विषयों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कबतक कराने का विचार रखती है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखण्ड के के०डी० कन्या उच्च विद्यालय कसबा में शैक्षणिक सत्र 2015–16 से उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाओं का संचालन होता है। विद्यालय में उच्च माध्यमिक सतर पर भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी विषयों के शिक्षकों का पद रिक्त है। उक्त विषयों के +2 शिक्षकों के अभाव में माध्यमिक स्तर के सामान विषयों के शिक्षकों के द्वारा उक्त विषयों में पठन–पाठन का कार्य किया जा रहा है। विभागीय संकल्प संख्या–51 दिनांक– 25.01.2018 द्वारा विद्यालय प्रबन्ध समिति को अतिथि शिक्षक (Guest faculty) मानदेय के आधार पर रखने का विकल्प उपलब्ध है।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि०स० 05–02/2018 ..392 पटना, दिनांक 05.3.18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–931–32 दिनांक–06.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता॰ - [illegible] 480

श्री अजीत शर्मा, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा –83		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
	क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के भागलपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत श्री मारवाड़ी पाठशाला, भागलपुर का छात्रावास क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण छात्रावास में छात्र नहीं रहते है ; यदि हॉ तो सरकार उक्त छात्रावास को कबतक जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती हैं, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–291 दिनांक–24.02.2018 द्वारा राज्य में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन /कमरों का Maping कराने हेतु सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया है, ताकि जीर्णोद्धार हेतु विद्यालयों को चिन्हित कर समेकित रूप से बजटीय उपबन्ध किया जा सके और तदोपरांत जीर्णोद्धार कराया जा सकेगा।

1/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि0स0 5–21/2018 ...390 पटना, दिनांक ..05/3/18..

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के पत्रांक 1608–09 दिनांक–12.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/3/18

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता – 482

श्री जनार्दन मॉझी, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–166		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
	क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत प्रखण्ड विसनपुर पंचायत में एक भी उच्च विद्यालय 05 कि०मी० के अन्दर नहीं है, जिससे उक्त पंचायत के छात्र/छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार विसनपुर पंचायत के इन्द्रसैना प्रोन्नत मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय कबतक उत्क्रमित करने का विचार रखतती है, नहीं तो क्यों	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विसनपुर पंचायत के अन्तर्गत वर्तमान में एक स्वत्वधारक उच्च विद्यालय (आनन्द मार्ग उच्च विद्यालय आनन्दपुर) अवस्थित है। इस प्रकार विसनपुर पंचायत माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित है। अतः विभागीय संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2013 के तहत विसनपुर पंचायत में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का तत्काल विचार नहीं है।

5/3/18
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि०स० 05–72/2018 403 पटना, दिनांक 05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–2643–44 दिनांक–27.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/18
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

तारा०-484

श्री चन्द्रसेन प्रसाद, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–133		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
	क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत इसलामपुर प्रखण्ड के आठ (8) पंचायतों में स्थित मध्य विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण करने का प्रस्ताव वर्ष–2013 में प्रखण्ड स्तर से विभाग को उपलब्ध कराया गया था, जिसमें तीन (3) पंचायत के मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर दिया गया है, शेष पाँच (5) पंचायत यथा इचहोल, धोवडीहा, आत्मा, बल्दाहा एवं मोहनचक के मध्य विद्यालय को उत्क्रमित नहीं किया गया है, यदि हाँ तो सरकार उक्त पाँच (5) पंचायत के मध्य विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित कबतक करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मोहनचक पंचायत में विवेकानन्द जी० एच० एस० गुलाब नगर अवस्थित है जो एक अनुदानित माध्यमिक विद्यालय है। विभागीय संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2013 के तहत उक्त पंचायत उच्च विद्यालय से आच्छादित है। अतः मोहनचक पंचायत में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने पर तत्काल विचार नहीं किया जा सकता है। जहां तक इचहोस, बरदाहा, धोबडीहा एवं आत्मा पंचायत, जो माध्यमिक विद्यालय विहिन पंचायत है, में विभागीय संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2013 के तहत जिला स्तीय समिति से मध्य विद्यालय के उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण का प्रस्ताव प्राप्त है, जिसपर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

<u>शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।</u>

ज्ञापांक 11/वि०स० 05–55/2018 ...400 पटना, दिनांक 05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–2401–2402 दिनांक–23.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता – 486

श्री रामविलास पासवान, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–159		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
01	क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के कहलगाँव प्रखण्ड अंतर्गत गोहादा पंचायत के बुधुचक उच्च विद्यालय में 380 छात्र +2 के अध्ययन करते है	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। उक्त विद्यालय के +2 संकाय में कुल 194 छात्र/छात्रा अध्ययनरत है।
02	क्या यह बात सही है कि उक्त उच्च विद्यालय में +2 का भवन नहीं बना है एवं शिक्षक भी कम है, जिससे पढ़ाई में परेशानी होती है	वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय के भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा 26.00 लाख रूपये आवंटित किया गया था। ग्रामीण विकास विभाग, भागलपुर प्रमंडल द्वारा भवन निर्माण कार्य शुरू किया गया लेकिन विभागीय निदेशानुसार लिए गए निर्णय के तहत AC/DC समायोजन के क्रम में शेष राशि 14.00 लाख रूपये विभाग को वापस कर दिया गया। परिणामस्वरूप उक्त भवन पूर्ण नहीं हो सका। उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–83 दिनांक–07.01.2013 द्वारा पुनरीक्षित दर पर पुनः 18.50 लाख रूपये का आवंटन जिला को उपलब्ध कराया गया परंतु कार्यकारी एजेंसी द्वारा ससमय कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने के कारण उक्त राशि पुनः चालान के माध्यम से कोषागार में जमा कर दी गई। संदर्भित विद्यालय के लिए अद्यतन अनुसूची दर पर प्राक्कलन पुनः तैयार कराकर अगले वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अंतर्गत उक्त विद्यालय के अर्धनिर्मित भवन के निर्माण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। +2 संकाय में पदस्थापित 05 शिक्षकों के साथ माध्यमिक संकाय में पदस्थापित 13 शिक्षकों में से उच्चतर योग्यताधारी शिक्षकों के साथ नामांकित छात्र/छात्राओं को अध्ययन अध्यापन कार्य कराया जाता है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त विद्यालय के +2 के लिए भवन बनाने एवं शिक्षक की प्रतिनियुक्ति करने का कबतक विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	भवन निर्माण के संबंध में स्थिति कंडिका–2 में स्पष्ट कर दी गयी है। शिक्षकों के नियोजन में तत्काल विधिक कठिनाई होने के कारण विभागीय संकल्प संख्या–51 दिनांक–25.01.2018 द्वारा विद्यालय प्रबन्ध समिति को अतिथि शिक्षक (Guest faculty) मानदेय के आधार पर रखने का विकल्प उपलब्ध है।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि0स0 05–68/2018 402 पटना, दिनांक 05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के ज्ञाप सं० प्र0–2629–30 दिनांक–27.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता- 487

श्री [illegible] शंकर सिंह, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–196

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(क)	क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत सदर प्रखंड के पोइवाँ डीहरी ग्राम पंचायत के पाण्डेयपुर एवं ग्राम पचरूखियां में प्राथमिक विद्यालय में भवन नहीं होने के कारण छात्र/छात्राओं की पढ़ाई बाधित होती है, यदि हाँ तो सरकार अब तक उक्त विद्यालयों का भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत सदर प्रखंड के पोवई डिहरी ग्राम पंचायत के पाण्डेयपुर एवं ग्राम पंचरूखिया में प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत है। उक्त दोनो विद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है। सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में भवन निर्माण हेतु राशि प्रावधानित नहीं है। वर्तमान समय में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय पांडेयपुर का संचालन सामुदायिक भवन पाण्डेयपुर एवं नवसृजित प्राथमिक विद्यालय पंचरूखिया का संचालय ग्रामीण मोहन यादव के मकान में किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत भवन निर्माण मद में राशि प्रावधानित होने पर उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराया जा सकेगा।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01–45/2018.....294...../ पटना, दिनांक ..05/03/18

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ता- 488

श्री शिवचन्द्र राम, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा-181		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-		
	क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के राजापाकड़ प्रखण्ड अंतर्गत उच्च विद्यालय राजापाकड़ एवं राय सुमारी देवी उच्च विद्यालय कर्णपुरा में +2 के नये भवन का निर्माण कार्य वर्ष-2008-09 में आरंभ किया गया था, परन्तु अभी तक उक्त विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण विद्यालयों में +2 की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, यदि हाँ तो सरकार खण्ड-1 में वर्णित विद्यालयों के भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं कराने के लिए दोषियों पर कार्रवाई करते हुए भवनों का निर्माण कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 430 दिनांक 5/3/18 के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली को निदेशित किया गया है कि प्रसंगाधीन विद्यालय का अधूरा निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय और आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध होने की स्थिति में विद्यालय में +2 की पढ़ाई प्रारंभ कराई जाय।

5/3/2018
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि०स० 05-79/2018 .431 पटना, दिनांक 05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-2689-90 दिनांक-28.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/2018
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता-490

श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–168		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
01	क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्ड अंतर्गत बैरिया पंचायत में उच्च विद्यालय नहीं है, जबकि उक्त पंचायत के मध्य विद्यालय बैरिया में नासीटोला, चकवा टोला एवं अन्य 11 गांव के लगभग 1800 छात्र/छात्राऐं पढ़ते हैं, जिसमें 60% छात्राऐं है, यदि हाँ उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार मध्य विद्यालय बैरिया को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बैरिया पंचायत माध्यमिक विद्यालय विहीन है। विभागीय संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2013 संशोधित संकल्प संख्या–141 दिनांक–07.02.2018 के तहत वैसे मध्य विद्यालय जिनके पास 75 डिसमिल उपलब्ध होगी, उसी मध्य विद्यालय का उत्क्रमण उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जा सकता है। प्रश्नगत मध्य विद्यालय के पास 50 डिसमिल भूमि उपलब्ध है। अतएव उक्त संकल्प के आलोक में प्रश्नगत मध्य विद्यालय का उत्क्रमण उच्च माध्यमिक विद्यालय में नहीं किया जा सकता है।

5/3/18
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि0स0 05–75/2018 ...414 पटना, दिनांक ...05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के ज्ञाप सं० प्र०–2647–48 दिनांक–27.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/18
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

तारा-491

श्री लक्ष्मेश्वर राय, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा-39		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-		
(1)	क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खुटौना प्रखण्ड के परसाही पूर्वी पंचायत वलानपट्टी में कन्या उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है ;	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प 1021 दिनांक-05.07.2013 में निहित प्रावधान के आलोक में माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना किया जाना है। प्रश्नगत पंचायत में पूर्व से उच्च विद्यालय गोठपराही अवस्थित है, जिसमें सह-शिक्षा की व्यवस्था है।
(2)	क्या यह बात सही है कि वलानपट्टी में उत्क्रमित मध्य विद्यालय है जिसमें 8 वीं तक ही पढ़ाई होता है ;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बलनापट्टी में प्राथमिक विद्यालय अवस्थित है, जिसमें वर्ग 5 तक ही पढ़ाई होती है।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार खण्ड-2 में वर्णित विद्यालय को कन्या उच्च विद्यालय में उत्क्रमित कराने का विचार रखती है ?	प्रश्नगत पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय पूर्व से अवस्थित रहने के कारण कन्या उच्च विद्यालय का उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण करने का तत्काल विचार नहीं है।

ह० 28/2/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि०स० 05-31/2018 384 पटना, दिनांक 05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०-1239-40 दिनांक-10.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० 28/2/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता-492

श्री सरोज यादव, स०वि०स० द्वारा चलते/अगामी में तिथि 06/03/2018 को पूछा जानेवाला तारंकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–144 का उत्तर सामग्री।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	डा० कृष्णनन्दन वर्मा , माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
(1) क्या यह बात सही है कि बड़हरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों/उच्च विद्यालयों में डी० ई० ओ०, बी० ई० ओ० एवं प्रधानाध्यापकों की लापरवाही के कारण प्रबन्ध कारिणी कमिटि एवं शिक्षा समिति का गठन कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक–398 दिनांक–28.02.18 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बड़हरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत उच्च माध्यमिक एवं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या–15 है, जिनमें 06 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्ध समिति का गठन एवं 06 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा समिति का गठन किया जा चुका है। शेष 03 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभागीय अधिसूचना सं०–259 दिनांक–22.02.2002 एवं विभागीय पत्रांक–574 दिनांक–16.02.18 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में प्रबन्ध समिति का गठन नहीं किये जाने संबंधी आरोपों के लिए श्री बेचई सिंह यादव, सहायक शिक्षक (प्रभारी प्रधानाध्यापक) +2 उच्च विद्यालय, खवासपुर, बड़हरा को कार्यालय आदेश सं०–696 दिनांक–05.03.18, श्री प्रेम चन्द्र शुक्ला, सहायक शिक्षक (प्रभारी प्रधानाध्यापक) +2 उच्च विद्यालय, एकौना, कुईया, बड़हरा को कार्यालय आदेश ज्ञापांक–698 दिनांक–05.03.18 तथा श्री अर्धेन्दु शेखर आनन्दमूर्ति, प्रधानाध्यापक +2 उच्च विद्यालय, सरैया, बड़हरा को कार्यालय आदेश ज्ञापांक–696 दिनांक–05.03.18 के द्वारा आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया है।

ह०/–
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक वि० म० को/मा० शि०/03/18....702 पटना दिनांक ...05-03-18

प्रतिलिपि : 1. प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक–2472–2473 वि०स० दिनांक 26.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

2. संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा–1 शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ हेतु प्रेषित।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ता.-493

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, स०वि०स० द्वारा दिनांक 06.03.18 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा– 177	माननीय मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, बतलाने की कृपा करेंगे की	
(1). क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत कुढ़नी प्रखण्ड में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, यदि हाँ तो सरकार उक्त प्रखण्ड में सरकारी डिग्री कॉलेज कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्ही अनुमण्डलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित किए जाने का निर्णय है, जहाँ पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है। कुढ़नी प्रखण्ड मुजफ्फरपुर जिले के मुजफ्फरपुर पश्चिमी अनुमण्डल के क्षेत्रान्तर्गत है, जहाँ पूर्व से जीवछ कॉलेज, मोतीपुर एवं अन्य महाविद्यालय संचालित है। अतः कुढ़नी प्रखण्ड में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ह0/–
सरकार के उप सचिव,
शिक्षा विभाग

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार

ज्ञापांक 15/ए 3–16/2018 – 358 पटना, दिनांक 05/3/ 2018

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या 2701–02 दिनांक 28.02.2018 के प्रसंग में/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा –1, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
शिक्षा विभाग

तारा-494

माननीय श्री शिवचन्द्र राम, स० वि० स० द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०-शिक्षा-212

क्र०	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर श्री कृष्णनन्दन, प्रसाद वर्मा, मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा दिये जाने वाला उत्तर:-
(1)	क्या यह बात सही है कि राज्य में उर्दू को द्वितीय राज भाषा का दर्जा प्राप्त है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
(2)	क्या यह बात सही है कि 8 अक्टूबर 2009 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई थी कि राज्य के प्रत्येक स्कूल में एक-एक उर्दू शिक्षक की बहाली की जायेगी ; परन्तु राज्य के स्कूलों में लगभग 35 हजार उर्दू शिक्षकों का पद पिछले 8 वर्षों से रिक्त है ;	वस्तुस्थिति यह है कि उर्दू विषय हेतु माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के क्रमशः 766 एवं 194 अर्थात कुल 960 पद स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत पद के विरूद्ध माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु संपन्न कुल पाँच चरणों में 175 माध्यमिक एवं 43 उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन विभिन्न नियोजन इकाई द्वारा किया गया है। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के लगभग 23000 रिक्त पदों के विरूद्ध उपलब्ध आकड़ों के आधार पर वर्ष 2015 तक विभिन्न नियोजन इकाईयों द्वारा लगभग 12000 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति किया गया है। सी० डब्लू० जे० सी० सं०-21199/13 एवं अन्य संलग्न वाद में दिनांक-31.10.2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश में अधिसूचित शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 के नियम 6 एवं 8 को **Read down** कर दिया गया है। उक्त न्यायादेश के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विभाग द्वारा एस० एल० पी० सं०-20/18 दायर किया गया है। जिसकी सुनवाई दिनांक-15.03.2018 को निर्धारित है। उक्त स्थिति में तत्काल शिक्षकों का नियोजन करने में विधिक कठिनाई है।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार राज्य के सभी स्कूलों में कबतक उर्दू शिक्षकों की बहाली करने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	इस खंड का उत्तर उपर्युक्त कंडिका में सन्निहित है।

5/3/18

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक-7/वि० मं01-21/2018 236 पटना/दिनांक- 05/03/18 /

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा को उनके पत्रांक-2731-32 दिनांक-28.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

5/3/18

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक-7/वि० मं01-21/2018 236 पटना/दिनांक- 05/03/18 /

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी-1 शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

5/3/18

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ता०-495

श्री रामानुज प्रसाद, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–119	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने संकल्प सख्या–1846, दि0–21.11.2008 द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए राज्य के सभी इंटर एवं स्नातक स्तर तक के स्थायी संबंधन प्राप्त शिक्षण संस्थानों को उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है ; (2) क्या यह बात सही है कि पूर्वोत्तर रेलवे महाविद्यालय, सोनपुर (सारण) द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन भरकार आवश्यक अभिलेखों के साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कार्यालय, पटना में जमा करने के बावजूद अभी तक सत्र 2006–08, 2007'09 एवं 2008–10 के इंटर अनुदान की राशि उक्त महाविद्यालय को नहीं मिला है ; (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त महाविद्यालय को खण्ड–(2) में वर्णित सत्रों के इंटर अनुदान की राशि कबतक दिलाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा यह अवगत कराया गया है कि पूर्वोतर रेलवे महाविद्यालय, सोनपुर, सारण जो डिग्री सम्बद्ध महाविद्यालय है को सत्र–2006–08 से अद्यतन अनुदान की राशि विमुक्त नहीं की गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या–11/वि. 1–220/2007–1644, दिनांक 14.11.2013 एवं संकल्प संख्या–11/वि. 1–220/2007/1368, दिनांक 07.07.2015 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में अनुदानित माध्यमिक विद्यालय/डिग्री सम्बद्ध एवं इंटर महाविद्यालयों को समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र 2008–10 से अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। विभागीय संकल्प संख्या–1368, दिनांक 07.07.2015 के कण्डिका–5 में अंकित है कि "अनुदान विमुक्ति के पूर्व गत वित्तीय वर्ष का अंकेक्षण के आधार पर आगामी अनुदान की राशि विमुक्ति की जाती है।" प्रश्नगत महाविद्यालय द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को वर्ष 2006–08 एवं 2007–09 से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र/अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण वर्ष 2008–10 एवं आगे के वर्षों का अनुदान राशि विमुक्त किये जाने हेतु समिति के पत्रांक–631 दिनांक 22.06.2017 के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश की मांग की गई है। समीक्षोपरान्त निदेश देने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि0स0 5–50/2018 425 पटना, दिनांक 05/3/18 5/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के पत्रांक–2266–671 दिनांक–21.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

तारा०-496

श्रीमती अमिता भूषण, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा-162		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-		
(1)	क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बीरपुर प्रखण्ड में लड़कियों की माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के लिये कन्या उच्च विद्यालय नहीं है ;	वस्तुस्थिति यह है कि बीरपुर प्रखण्ड में गांधी स्मारक उच्च विद्यालय नौलागढ़ एवं बैजनाथ प्रसाद उच्च विद्यालय बीरपुर संचालित है, जिसमें सह-शिक्षा की व्यवस्था है।
(2)	क्या यह बात सही है कि बीरपुर पश्चिम पंचायत में एक कन्या मध्य विद्यालय है जिसके आसपास लगभग एक एकड़ गैरमजरूआ जमीन उपलब्ध है;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि अंचलाधिकारी बीरपुर ने अपने ज्ञापांक-119 दिनांक-01.03.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि कन्या मध्य विद्यालय बीरपुर के आस पास मौजूद गैरमजरूआ आम भूमि गडढा है, पूर्व से सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र तथा अन्य योजनाओं हेतु निर्माण प्रस्तावित है।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस कन्या मध्य विद्यालय को कन्या उच्च विद्यालय में उत्क्रमित कबतक करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि उक्त विद्यालय को भवन के अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। विभागीय संकल्प संख्या-1021 दिनांक 5.07.2013 के आलोक में प्रश्नगत विद्यालय का उत्क्रमण नहीं किया जा सकता है।

ह०/- 5/3/2018

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि0स0 05-67/2018 ..501 पटना, दिनांक 05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के ज्ञाप सं० प्र०-2635-36 दिनांक-27.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/- 5/3/2018

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

नि-500

...ो हेमनारायण साह, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–23	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के प्रखण्ड महाराजगंज के पंचायत हजपुरवा ग्राम–सोनबरसा स्थित राजकीय मध्य विद्यालय सोनबरसा, का उत्क्रमण नहीं होने से स्थानीय छात्र/छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए 7 से 8 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि उक्त विद्यालय उत्क्रमण की सरी शर्त्तों को पूरा करता है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का उत्क्रमण करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प 1021 दिनांक–05.07.2013 में निहित प्रावधान के आलोक में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाती है। जिला स्तरीय समिति से प्रश्नगत विद्यालय के उत्क्रमण हेतु अनुशंसा प्राप्त हुआ था। विभागीय संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.13 के तहत उत्क्रमण हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप भूमि नहीं रहने के कारण उक्त मध्य विद्यालय का उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण नहीं किया जा सका। उक्त संकल्प में संशोधन करते हुए संकल्प संख्या–141 दिनांक–07.02.2018 द्वारा भूमि संबंधित आवश्यक मापदण्ड को 100 डिसमिल से घटाकर 75 डिसमिल किया गया है। साथ ही, विभागीय पत्रांक–130 दिनांक–05.02.2018 के द्वारा इस ओर सभी जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करने हेतु आवश्यक पहल करने हेतु कहा गया है। अतः उक्त पंचायत के संदर्भ में जिला स्तरीय समिति से याचित अनुशंसा पुनः प्राप्त होने के उपरांत प्रश्नगत पंचायत के मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

(ह0) .../3/18
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि0स0 5–30/2018 ...383 पटना, दिनांक 05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के पत्रांक 1207–08 दिनांक–10.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ह0) .../3/18
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता०- 501

श्री नीरज कुमार, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–136		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
	क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बरारी प्रखण्ड के जेगेश्वर उच्च विद्यालय का विद्यालय भवन जर्जर हैं, जिसके कारण छात्र एवं छात्राओं को पठन–पाठन में कठिनाई होती हैं, यदि हाँ तो सरकार उक्त विद्यालय में नया भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय में कुल कमरों की संख्या 39 है, जिनमें अच्छी स्थिति वाले कमरों की संख्या 25, आंशिक क्षतिग्रस्त कमरों की संख्या 10 एवं जर्जर कमरों की संख्या 04 है। वर्तमान में विद्यालय में उपलब्ध 21 कमरों में वर्ग–कक्ष का संचालन एवं 04 कमरों में अन्य शैक्षणिक कार्य किया जा रहा है। विभागीय पत्रांक–291 दिनांक–24.02.2018 द्वारा राज्य में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन /कमरों का Maping कराने हेतु सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया है, ताकि जीर्णोद्धार हेतु विद्यालयों को चिन्हित कर समेकित रूप से बजटीय उपबन्ध किया जा सके और तदोपरांत जीर्णोद्धार कराया जा सकेगा।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि0स0 05–53/2018 ...410 पटना, दिनांक 05.3.18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के ज्ञाप सं० प्र०–2407–08 दिनांक–23.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

तारां-502

श्री फैयाज अहमद, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–34		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
(1)	क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बिस्फी प्रखण्ड के सिंघिया पूर्वी पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय भटरा +2 का भवन तीन वर्षों से निर्माणाधीन है;	स्वीकारात्मक है।
(2)	क्या यह बात सही है कि भवन निर्माण पूरा नहीं होने के कारण छात्र/छात्राओं का पठन–पाठन बाधित हो रहा है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय में उपलब्ध आधारभूत संरचना अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को अलग–अलग दिवसों पर कक्षा का संचालन कर अध्यापन का कार्य किया जाता है।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त अधूरे भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक–426 दिनांक–05.03.2018 के द्वारा भवन के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने का निदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को दिया गया है।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि०स० 5–03/2018 428 पटना, दिनांक 05/03/2018

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के पत्रांक 1229–30 दिनांक–10.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

NT-503.

श्रीमती अमिता भूषण, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–163		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
(1)	क्या यह बात सही है कि बेगूसराय प्रखण्ड के मोहनपुर पंचायत अवस्थित उच्च विद्यालय को उत्क्रमित कर +2 का दर्जा दिया गया है ;	स्वीकारात्मक है।
(2)	क्या यह बात सही है कि इस विद्यालय में नवम एवं दशम् के छात्रों की संख्या 400 से अधिक होने के बावजूद हिन्दी, संस्कृत एवं अंग्रेजी के एक भी शिक्षक नहीं है ;	स्वीकारात्मक है।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में वर्णित विषयों के शिक्षकों को पदस्थापित कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–21199/13 में दिनांक–31.10.2017 को पारित न्यायादेश के तहत जिला परिषद्/नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त नियमावली) (समय–समय पर यथासंशोधित) 2006 नियमावली के नियम–6 एवं 8 को read down कर दिया गया है, परिणामस्वरूप नियोजन करने में विधिक कठिनाई है। विभागीय संकल्प संख्या–51 दिनांक–25.1.18 द्वारा विद्यालय प्रबन्ध समिति को अतिथि शिक्षक (Guest faculty) मानदेय के आधार पर रखने का विकल्प उपलब्ध है।

5/3/2018
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

<u>शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।</u>

ज्ञापांक 11/वि0स0 05–66/2018 ..421 पटना, दिनांक 05.3.18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के ज्ञाप सं० प्र०–2637–38 दिनांक–27.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/2018
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

तारा-504

श्री रत्नेश सादा, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा-205

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :-	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :-
(क)	क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के पंचायत पड़रिया के फतेहपुर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा वर्ष-2015-16 एवं 2016-17 में पोशाक राशि एवं छात्रवृत्ति राशि की निकासी की गई, परन्तु एक भी छात्र को उक्त राशि का लाभ नहीं मिला है, यदि हाँ तो सरकार उक्त प्रधानाध्यापक के द्वारा बरती गई वित्तीय अनियमितता की जाँच कराकर कब तक कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के मध्य विद्यालय फतेहपुर को वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्यमंत्री पोशाक योजना अंतर्गत कुल रू०143500/-(एक लाख तैंतालीस हजार पाँच सौ रूपये) एवं छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत रू०171600/-(एक लाख एकहत्तर हजार छः सौ रूपये) उपलब्ध कराया गया था। निर्धारित अर्हता वाले सभी छात्र/छात्राओं को राशि वितरण किया गया है। विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा संधारित वितरण पंजी में सभी लाभुक का हस्ताक्षर अंकित है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री पोशाक योजना अंतर्गत रू०195500/- (एक लाख पंचानवे हजार पाँच सौ रूपये) एवं छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत रू०351000/-(तीन लाख इकावन हजार रूपये) संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति को उपलब्ध कराया गया था। निर्धारित अर्हता वाले सभी लाभुक के बैंक खाते में आर.टी. जी.एस. के माध्यम से राशि हस्तांतरित कर दी गई है।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01-43/2018 208 / पटना, दिनांक 05/03/18

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ता-508

श्रीमती लेशी सिंह, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–202

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(क)	क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रारंभिक और मध्य विद्यालयों के बच्चों के खाते में पोशाक और छात्रवृत्ति की राशि तथा राज्य के कक्षा 9 से 12 तक साईकिल, पोशाक की राशि बच्चों के खाते में भेजने का निर्देश दिनांक–15.01.2018 को विभाग के सचिव द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी गई थी;	वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में वर्ग 1 से 8 तक के छात्र/छात्राओं को न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर मुख्यमंत्री पोशाक/बालिका पोशाक योजना अंतर्गत राज्य योजना मद से रू० 3711748800/–(तीन अरब एकहतर करोड़ सतरह लाख अड़तालीस हजार आठ सौ रूपये) एवं सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत पोशाक राशि रू० 1695301200/– (एक अरब उनहत्तर करोड़ तिरपन लाख एक हजार दो सौ रूपये) जिलों को आवंटित की गई है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में वर्ग 1 से 8 तक के सामान्य कोटि के छात्र/छात्राओं को न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत रू० 1199631000/– (एक अरब उन्नीस करोड़ छियानवें लाख एकतीस हजार रूपये) जिलों को आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री पोशाक/बालिका पोशाक योजना अंतर्गत कोषागार से रू० 2933193680/–(दो अरब तिरानवे करोड़ इक्कतीस लाख तिरानवे हजार छः सौ अस्सी रूपये) की निकासी एवं लाभुकों के खाते में रू० 1669857865/– (एक अरब छियासठ करोड़ अंठानवे लाख संतावन हजार आठ सौ पैंसठ रूपये) हस्तांतरित की गई है। छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत रू० 840142200/–(चौरासी करोड़ एक लाख बयालीस हजार दो सौ रूपये) की निकासी एवं लाभुकों के खाते में रू० 450900377/–(पैंतालीस करोड़ नौ लाख तीन सौ सतहत्तर रूपये) हस्तांतरित की गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा साईकिल योजना अन्तर्गत 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर 313 करोड़ 37 लाख 82 हजार रूपये का आवंटन जिलों को उपलब्ध कराया गया है, जिसके विरूद्ध जिलों के द्वारा 294 करोड़ 25 लाख रूपये की निकासी की गई है। पोशाक मद में जिलों को 152 करोड़ 76 लाख 87 हजार रूपये का आवंटन जिलों का उपलब्ध कराया गया है, जिसके विरूद्ध 128 करोड़ 30 लाख रूपये की निकासी की गई है। छात्रवृति मद एवं प्रोत्साहन मद में 149 करोड़ 82 लाख रूपये जिलों का उपलब्ध कराया गया है जिसके विरूद्ध 112 करोड़ 72 लाख रूपये निकासी की गई है। जिलों के द्वारा लाभुकों के खाते में राशि हस्तांतरित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 05 जिले क्रमशः रोहतास, गया, गोपालगंज, नवादा एवं समस्तीपुर जिनके द्वारा लाभुकों के खाते में हस्तांतरण की कार्रवाई संतोषप्रद नहीं पाया गया है, उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गयी है।
(ख)	क्या यह बात सही है कि 2.24 करोड़ बच्चों के खाते में राशि भेजी जानी थी, जिसमें मात्र 5 लाख बच्चों के खाते में ही अब तक राशि भेजी जा सकी है;	
(ग)	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बच्चों के खाते में राशि स्थानान्तरित नहीं करनेवाले दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कौन–सी कार्रवाई करने का विचार रखती है?	

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01–46/2018 309 / पटना, दिनांक 05/03/2018

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ता – 509

श्री राजू तिवारी, स०वि०स० द्वारा दिनांक 06.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा– 169	माननीय मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, बतलाने की कृपा करेंगे की	
(1). क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के अरेराज प्रखण्ड अन्तर्गत महंथ शिवशंकर गिरि महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी रहने के कारण बच्चों का पठन–पाठन बाधित हो रहा है, यदि हाँ तो सरकार उक्त महाविद्यालय में कब तक शिक्षकें की प्रतिनियुक्ति कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	उत्तर स्वीकारात्मक है। विश्वविद्यालय के प्रतिवेदनानुसार प्रश्नाधीन महाविद्यालय में स्थायी प्रधानाचार्य के अतिरिक्त 03 शिक्षक कार्यरत है। राज्य सरकार द्वारा यद्यपि अब तक कुल 09 विषयों में सहायक प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय को अनुशंसा भेज दिया गया है। साथ ही इस महाविद्यालय में शिक्षकों की अविलम्ब पदस्थापना करने हेतु विभागीय पत्रांक 343 दिनांक 05.03.2018 द्वारा विश्वविद्यालय को निदेश दिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नाधीन महाविद्यालय में शीघ्र ही शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए प्रतिनियुक्ति करने हेतु आश्वस्त किया गया है।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
शिक्षा विभाग

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार

ज्ञापांक 15/ए 3– 13/2018 – 360 पटना, दिनांक 05/3/ 2018

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या 2649–50 दिनांक 27.02.2018 के प्रसंग में/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा –1, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव
शिक्षा विभाग

नट-510

श्री अमरनाथ गामी, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–187	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखण्ड अंतर्गत घोषरम्मा ग्राम में राम हृदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण बिहार राज्य आधारभूत संरचना के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता खराब है, यदि हाँ तो सरकार इसकी उच्चस्तरीय जाँच करवाकर गुणवत्तापूर्ण उक्त भवन का निर्माण शीघ्र कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय का भवन निर्माण बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में विद्यालय के भवन संरचना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है। विद्यालय भवन का निर्माण कार्य प्राक्कलन एवं विशिष्टि के अनुरूप किया जा रहा है। निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण निगम अभियंताओं के साथ साथ इस योजना के लिए अधिकृत पर्यवेक्षण परामर्शी द्वारा भी किया जा रहा है। गुणवत्ता संबंधी जांच प्रतिवेदन के अनुसार विद्यालय भवन का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण है।

05/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि0स0 05–82/2018 ..422 पटना, दिनांक 05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के ज्ञाप सं० प्र०–2697–98 दिनांक–28.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता0-511

श्री नीरज कुमार, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–135		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बरारी प्रखण्ड के उच्च विद्यालय, सजापुर में विद्यालय भवन 5 वर्षों से जर्जर है, जिसके कारण छात्र/ छात्राओं को पठन–पाठन में कठिनाई होती हैं, यदि हाँ तो सरकार उक्त विद्यालय में नया विद्यालय भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?		आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय में कुल कमरों की संख्या 18 है, जिनमें अच्छी स्थिति वाले कमरों की संख्या 12, आंशिक क्षतिग्रस्त कमरों की संख्या 02 एवं जर्जर कमरों की संख्या 04 है। वर्तमान में विद्यालय में उपलब्ध 06 कमरों में वर्ग–कक्ष का संचालन एवं 06 कमरों में अन्य शैक्षणिक कार्य किया जा रहा है। विभागीय पत्रांक–291 दिनांक–24.02.2018 द्वारा राज्य में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन /कमरों का Maping कराने हेतु सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया है, ताकि जीर्णोद्धार हेतु विद्यालयों को चिन्हित कर समेकित रूप से बजटीय उपबन्ध किया जा सके और तदोपरांत जीर्णोद्धार कराया जा सकेगा।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

<u>शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।</u>

ज्ञापांक 11/वि0स0 05–52/2018 409 पटना, दिनांक 05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के ज्ञाप सं० प्र०–2405–06 दिनांक–23.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता-512

श्री अब्दुल गफूर, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–127

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(क)	क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सत्तर कटैया प्रखण्ड के पुरीख संथाली टोला में प्रा.वि. के भवन नहीं रहने के कारण अनु. जाति के छात्र/छात्राओं को पठन–पाठन में कठिनाई होती है, जबकि विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ तो सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिलान्तर्गत सत्तर कटैया प्रखण्ड के पुरीख ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय संथाली टोला संचालित है। उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। भूमि उपलब्ध होने के उपरांत उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

5/3/18
उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01–34/2018......297....../ पटना, दिनांक 05/03/18

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/18
उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ता0-513

श्री सत्यदेव राम, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–194		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
	क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के गुठनी में लोकमान्य तिलक उच्च विद्यालय को उत्क्रमित कर सह इन्टर कॉलेज बना दिया गया है, परन्तु उक्त विद्यालय में पूर्व से पठन–पाठन हेतु मात्र 7 कमरा है, यदि हाँ तो सरकार उक्त उत्क्रमित विद्यालय में इन्टर की पढ़ाई हेतु समुचित कमरा व साधन की व्यवस्था कबतक कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–291 दिनांक–24.02.2018 द्वारा राज्य में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन /कमरों का Maping कराने हेतु सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया है, ताकि जीर्णोद्धार हेतु विद्यालयों को चिन्हित कर समेकित रूप से बजटीय उपबन्ध किया जा सके और तदोपरांत जीर्णोद्धार कराया जा सकेगा।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

<u>शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।</u>

ज्ञापांक 11/वि0स0 05–78/2018 429 पटना, दिनांक 05/3/18

<u>प्रतिलिपि</u> : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के ज्ञाप सं० प्र०–2911–12 दिनांक–28.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

तारा०-514

	श्री मुजाहिद आलम, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्याः–शिक्षा–182, क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	माननीय मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बिहार में सरकारी मदरसों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षेतर कर्मियों के रिटायरमेन्ट के उपरान्त किसी प्रकार का रिटायरमेन्ट बेनिफिट एवं पेंशन का भुगतान नहीं होता है, यदि हाँ तो सरकार सरकारी मदरसों के शिक्षकों एवं शिक्षेतर कर्मियों को रिटायरमेन्ट बेनिफ्टि एवं पेंशन कबतक देने का विचार रखती है नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक विभागीय संकल्प संख्या 970 दिनांक 31.08.2013 में निहित प्रावधानानुसार राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1128 मदरसा एवम् 531 संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत कर्मियों को षष्ट्म पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन (वेतन एवम् ग्रेड पे) एवम् राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता ही देय होगा। इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार की कोई भत्ते/वित्तीय सुविधा हेतु अनुदान अनुमान्य नहीं है। प्रस्तुत कंडिका में सन्निहित प्रस्ताव के संबंध में सरकार के समक्ष सम्प्रति कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

ह०/–

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 10/वि0स0–12/2018.–291 पटना, दिनांक 05/03/2018

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके पत्रांक–2691–92 दिनांक 28.02.2018 के प्रसंग में/उप सचिव संसदीय कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/2018

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता॰ 515

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान, माननीया स०वि०स० द्वारा दिनांक 06.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–28 का उत्तर सामग्री।

क्या मंत्री शिक्षा विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि :–

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान, माननीया स०वि०स० द्वारा दिनांक 06.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–28.	श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी प्रखण्ड मुख्यालय में स्थित जनता उच्च विद्यालय में दसवीं के छात्रों का विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के प्रायोगिक परीक्षा में अंक देने के नाम पर प्रत्येक छात्रों से दो–दो सौ रुपये की अवैध वसूली की गई है ;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विद्यालय स्तर पर प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों से अंक बढ़ाये जाने के नाम पर कोई राशि की वसूली नहीं हुयी है। दैनिक समाचार पत्रों में छपी खबर के संबंध में कोई सच्चाई जाँच में नहीं पायी गयी है।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त उच्च विद्यालय में प्रायोगिक परीक्षा की अवैध वसूली पर छात्र/छात्राओं के विरोध करने पर शिक्षकों द्वारा छात्रों को अंक नहीं देने अथवा परीक्षा में अनुपस्थिति करने की धमकी दी गई है ;	अस्वीकारात्मक है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के प्रायोगिक परीक्षा में अंक देने के नाम पर अवैध वसूल करने वाले प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों पर कार्रवाई करने पर विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में उत्तर निहित है।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 09/बि०वि०स०–02/2018 ..127.. पटना दिनांक ..5/3/2018.. प्रतिलिपि : 1. प्रशाखा पदाधिकारी बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञाप सं०प्र०–1217–18 वि०स० दिनांक 10.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा–1 शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता-517

श्री अब्दुल गफूर, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–126

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(क)	क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सत्तर कटैया प्रखण्ड के गोवरगढ़ा दक्षिण टोला की आबादी लगभग बारह सौ से ऊपर है, जहां से किसी भी विद्यालय की दूरी 1.50 कि0मी0 से अधिक है, फलतः इस टोला के छोटे–छोटे बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार उक्त टोला में प्राथमिक विद्यालय कब तक खोलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिलान्तर्गत सत्तर कटैया प्रखंड के गोवरगढ़ा दक्षिण टोला से ½ (आधा) किलोमीटर पश्चिम मध्य विद्यालय गोवरगढ़ा, ½ (आधा) किलोमीटर उत्तर में प्राथमिक विद्यालय गोवरगढ़ा तथा ½ (आधा) किलोमीटर पूरब में नव प्राथमिक विद्यालय हासा हकपाड़ा अवस्थित है। बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 एवं तद्आलोक में अधिसूचित नियमावली 2011 के तहत प्रत्येक बसाव क्षेत्र/टोला के एक किलोमीटर की परिधि में एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया जाना है। अतः उक्त स्थल पर प्राथमिक विद्यालय खोला जाना नियमानुकूल नहीं है।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01–33/2018.....298...../

पटना, दिनांक ...05/03/18

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ता–518

श्री डॉ० अशोक कुमार, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–207

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(1)	क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अन्तर्गत रोसड़ा, शिवाजी नगर तथा सिंधिया प्रखंडों सहित जिला के अन्य सभी उत्क्रमिक मध्य विद्यालयों में कंटीजेंसी एवं विकास मद में मिलने वाली राशि का भुगतान वर्ष 2013 से नहीं किया जा रहा हैं, यदि हाँ तो सरकार उक्त सभी उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में बकाए सहित अद्यतन राशि का कबतक भुगतान करना चाहती है, नही तो क्यों?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 से अब तक सभी वित्तीय वर्षों में विद्यालय विकास अनुदान मद की राशि जिलान्तर्गत सभी उत्क्रमित मध्य विद्यालयों को 12000/– रूपया मात्र प्रति विद्यालय की दर से उपलब्ध करायी गयी है। अंकनीय है कि कंटीजेंसी की राशि का सर्व शिक्षा अभियान अर्न्तगत कोई बजटीय प्रावधान नहीं है।

05/3/18
उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 8/व01–09/2018 – 252 पटना, दिनांक– 05/03/18 /

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, सचिवालय को उनके ज्ञापांक संख्या–2725–26 दिनांक 28.02.2018 (दो प्रतियों में)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/18
उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता0-519

श्रीमती लेशी सिंह, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–203		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
(1)	क्या यह बात सही है कि राज्य के 7वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली 24,38,854 छात्राओं को सेनेटरी नैपकिन के लिए वर्ष–2017–18 में राशि मिलनी थी;	वस्तुस्थिति यह है कि किसी भी योजना की राशि के 18 माह पूर्व की राशि का उपयोगिता का सामंजन होने के उपरांत पुनः राशि की निकासी कोषागार द्वारा की जाती है। वर्तमान में मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजनान्तर्गत आवंटित राशि के निकासी के लिए वित्त विभाग द्वारा अनुमति उनके पत्रांक–1307 दिनांक 20.02.2018 द्वारा प्राप्त हो गया है। इस योजना की राशि की निकासी की जा रही है। जहां तक मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना का प्रश्न है तो इस योजना के लिए स्वीकृत राशि के निकासी हेतु वित्त विभाग से शिथिलीकरण प्राप्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वित्त विभाग से शिथिलीकरण प्राप्ति के उपरांत राशि की निकासी की जा सकेगी। ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने वाले पदाधिकारियों को चिन्हित कर उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया है।
(2)	क्या यह बात सही है सेनेटरी नैपकिन और परिभ्रमण योजना की राशि पर जिलों से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलने से वित्त विभाग द्वारा ट्रेजरी से राशि निकासी पर रोक लगा दी गई है;	
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपयोगिता प्रामण–पत्र नहीं देने वाले दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि0स0 05–84/2018 541 पटना, दिनांक 05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के ज्ञाप सं० प्र०–2721–22 दिनांक–28.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता० - 521

श्री विजय कुमार खेमका, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–101

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(1)	क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला सहित राज्य भर में निजी स्कूलों द्वारा री–एडमिशन के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम प्रत्येक वर्ष वसूली जाती है।	वस्तुस्थिति यह है कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 एवं बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 एवं संशोधन नियमावली 2013 के तहत निजी विद्यालयों के प्रस्वीकृति के लिए जिला स्तर पर तीन सदस्यीय समिति गठित है जिसके संयोजक जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं। परंतु निजी विद्यालयों के फी नियंत्रण संबंधित प्रावधान उक्त अधिनियम 2009 में नहीं है। इस विषयक एक वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लु०जे०सी०न०–8356/17 संजीव कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य के तहत दायर है। उक्त वाद में माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में निजी विद्यालयों के फी नियंत्रण हेतु अधिनियम के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त प्रस्तावित अधिनियम के प्रभावी होने के उपरांत निजी विद्यालयों के फी के संदर्भ में सरकार (विभाग) के द्वारा प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई की जा सकेगी।
(2)	क्या यह बात सही है कि निजी स्कूल द्वारा मोटी रकम की वसूली पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं हैं, जिससे अभिभावक आर्थिक बोझ उठाने पर मजबूर हैं।	
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार निजी स्कूल के मनमाने मोटी रकम की वसूली पर रोक लगाने के लिए कबतक सरकारी निमय बनाने का विचार रखती हैं, नही तो क्यों?	

5/3/18
उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 8/व०1–07/2018 – 753 पटना, दिनांक– 05/03/18 /

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, सचिवालय को उनके ज्ञापांक संख्या–2054–55 दिनांक 15.02.2018 (दो प्रतियों में)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/18
उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता-522

माननीय श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स0 वि0 स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–शिक्षा–154

प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा दिये जाने वाला उत्तर:–
क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखण्ड के पटखैलिया कन्या मध्य विद्यालयों में छात्र के अनुपात में शिक्षकों के कमी के कारण पठन–पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हां तो सरकार उक्त विद्यालय में शिक्षकें की नियुक्ति कर पठन–पाठन का कार्य कबतक व्यवस्थित कराने का विचार है, नही तो क्यों ?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विद्यालय में कुल–05 शिक्षक कार्यरत है एवं वर्ग 01 से 08 तक कुल छात्रों की संख्या 566 है। बहुवर्गीय कक्षा संचालन के अन्तर्गत शिक्षक कार्य कराया जा रहा है। साथ ही नियोजन ईकाई को विभागीय निदेश के आलोक में सामंजन के अन्तर्गत शिक्षकों का सामंजन इस विद्यालय में करने हेतु निदेश दिया गया है।

5/3/18

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–7/वि0 मं01–17/2018 237 पटना/दिनांक– 05/03/18 /

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान–सभा को उनके पत्रांक–2619–20 दिनांक–27.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

5/3/18

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–7/वि0 मं01–17/2018 237 पटना/दिनांक– 05/03/18 /

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी–1 शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

5/3/18

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ता-523

श्रीमती वर्षा रानी, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–165		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
01	क्या यह बात सही है कि प्रत्येक पंचायत में उच्च विद्यालय बनाने का निर्णय सरकार द्वारा अप्रील माह 2017 में लिया गया है,	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2013 द्वारा सभी पंचायतों को एक–एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित करने का निर्णय संसूचित है।
02	क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत प्रखण्ड जगदीशपुर के सन्हौली पंचायत में मध्य विद्यालय, घोरी डुमरिया के पास 0.78 डिसमील खतियानी एवं विद्यालय के सटे सर्व साधारण अनाबाद 0.22 डिसमील जमीन अंचलाधिकारी, जगदीशपुर से अनापत्ति प्राप्त जमीन उपलब्ध है एवं मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने की सभी अहर्ता पूर्ण करती है,	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2013 के तहत माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में वैसे मध्य विद्यालय जिनके पास 1 से 1.5 एकड़ भूमि एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की आधारभूत संरचना को विकसित करने हेतु न्यूनतम 40 डिसमिल खाली भूमि की उपलब्धता के आधार पर ही चिन्हित मध्य विद्यालय का उत्क्रमण किया जा सकता है। प्रश्नगत मध्य विद्यालय को उक्त मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध नहीं है। इसी क्रम में उक्त संकल्प में संशोधन करते हुए संकल्प संख्या–141 दिनांक–07.02.2018 द्वारा भूमि संबंधित आवश्यक मापदण्ड को 100 डिसमिल से घटाकर 75 डिसमिल किया गया है। साथ ही, विभागीय पत्रांक–130 दिनांक–05.02.2018 के द्वारा इस ओर सभी जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करने हेतु आवश्यक पहल करने हेतु कहा गया है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त मध्य विद्यालय घोरी डुमरिया को उच्च विद्यालय में कबतक उत्क्रमित करने का विचार रखती है?	वस्तुस्थिति यह है कि उक्त पंचायत के संदर्भ में जिला स्तरीय समिति से याचित अनुशंसा पुनः प्राप्त होने के उपरांत प्रश्नगत पंचायत के मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि0स0 05–73/2018 505 पटना, दिनांक 05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के ज्ञाप सं० प्र०–2641–42 दिनांक–27.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता- 524

	श्री मो0 नेमातुल्लाह, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्याः-शिक्षा-197, क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	माननीय मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा सन् 2013-2014, 2014-2015 एवं 2015-2016 में राज्य के सभी मदरसों को उस्तानिया से फौकानिया फौकानिया से मौलवी मौलवी से आलिम तथा आलिम से फाजिलू में उत्क्रमित करने हेतु प्रति मदरसों से 8000/-रु0 बोर्ड में जमा कराया गया है, यदि हाँ तो सरकार उक्त मदरसों को कबतक उत्क्रमित करने का विचार रखती है ?	स्वीकारात्मक। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा अब तक 50 मदरसों का उत्क्रमण किया जा चुका है। शेष जाँचाधीन/प्रक्रियाधीन है।

ह०/-
उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 05/03/2018

ज्ञापांकः- 10/वि0स0-13/2018- 292

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके पत्रांक-2717-18 दिनांक 28.02.2018 के प्रसंग में/उप सचिव संसदीय कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/18

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता० - 525

बिहार विधान सभा में मो० आफाक आलम, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–05		श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय शिक्षा मंत्री का उत्तर	
(क)	क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखण्ड में एम०एल० आर्य कॉलेज, कसबा में डिग्री तक की पढ़ाई होती है, लेकिन पी०जी० की पढ़ाई नहीं होती है?	(क)	स्वीकारात्मक।
(ख)	क्या यह बात सही है कि कसबा प्रखण्ड में पी०जी० की पढ़ाई हेतु कोई कॉलेज नहीं है, जिस कारण उक्त प्रखण्ड के छात्र/छात्राओं को पी०जी० की पढ़ाई हेतु 50 कि०मी० की दूरी तय कर पूर्णियाँ मुख्यालय जाना पड़ता है?	(ख)	कुलसचिव, बी० एन० मंडल विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवेदित प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नाधीन महाविद्यालय में डिग्री तक की पढ़ाई होती है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–176 की धारा–04 (17) के आलोक में स्नातकोत्तर की पढ़ाई हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियम बनाया जाता है एवं धारा–38 (2) तथा 39 (2) (II) के तहत महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तदोपरान्त सीटों का आवंटन विभाग द्वारा किया जाता है। सम्प्रति राज्य सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
(ग)	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त कॉलेज में पी०जी० की पढ़ाई कब तक शुरू करने का विचार रखती है नहीं तो क्यों?	(ग)	उपर्युक्त कंडिका (ख) में उत्तर सन्निहित है।

27/7/18

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार

ज्ञापांक:–14/ए–11–03./18–244 पटना, दिनांक 27/07/2018

प्रतिलिपि:–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्रांक 933–34 दिनांक 06.02.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:–प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/7/18

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार

प्रा- 527

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, माननीय, स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–67

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(क)	क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखण्ड के नाउर पंचायत अंतर्गत एक हजार की आबादी वाले ग्राम हुड़राहा में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, जिससे उक्त पंचायत के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार उक्त गाँव में कबतक प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखण्ड के नाउर पंचायत अंतर्गत ग्राम हुडराहा में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत है। इस विद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में उक्त विद्यालय के पोषक क्षेत्र के बच्चे लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत पीपरा में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय दरार में नामांकित हैं और वहाँ पढ़ने जाते हैं। उक्त विद्यालय हेतु भूमि उपलब्ध होने के उपरांत भवन निर्माण के संबंध में कार्रवाई की जा सकेगी।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01–13/2018 301 /

पटना, दिनांक 05/03/18

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ता0-531

ी अचमित ऋषिदेव, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–120		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
(1)	क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अंतर्गत रानीगंज प्रखण्ड में 5 मूल उच्च विद्यालय तथा 16 उत्क्रमित उच्च विद्यालय है ;	स्वीकारात्मक है।
(2)	क्या यह बात सही है कि 16 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में अबतक बी0एड0 प्रशिक्षित गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय के शिक्षकों का पदस्थापन नहीं किया गया है, जिससे नौवीं एवं दशवीं के छात्र/छात्राओं को उक्त विषयों की पढ़ाई में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;	वस्तुस्थिति यह है कि 16 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में से उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुणवंती में विज्ञान एवं गणित के शिक्षक उच्च माध्यमिक विद्यालय परमानंदपुर में गणित के शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कालाबलुआ में विज्ञान एवं गणित के शिक्षक पदस्थापित है। शेष अन्य विद्यालयों में उच्च माध्यमिक/माध्यमिक शिक्षक का नियोजन नहीं होने के कारण तत्काल मध्य विद्यालय के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा शिक्षण का कार्य किया जाता है।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी 16 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में बी0एड0 प्रशिक्षित गणित विज्ञान एवं अंग्रेजी के शिक्षकों का पदस्थापन कबतक करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–21199/13 में दिनांक–31.10. 2017 को पारित न्यायादेश के तहत जिला परिषद्/नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त नियमावली) (समय–समय पर यथासंशोधित) 2006 नियमावली के नियम–6 एवं 8 को read down कर दिया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुमति याचिका संख्या–20/2018 एवं अन्य संलग्न वाद दायर किया गया है, जिसमें दिनांक–29.01.2018 को माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए कतिपय निदेश दिए गए हैं और उक्त वाद में अगली सुनवाई दिनांक 15.03. 2018 को निर्धारित की गयी है। इस अवधि में यथा स्थिति (status quo) बनाए रखने का आदेश दिया गया है। परिणामस्वरूप नियोजन करने में विधिक कठिनाई है।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि0स0 05–49/2018 393 पटना, दिनांक 05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के ज्ञाप सं० प्र०–2264–65 दिनांक–21.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता॰ 5-33

श्री नौशाद आलम, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 06.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–157 का उत्तर सामग्री।

क्या मंत्री शिक्षा विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि :–

श्री नौशाद आलम, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 06.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–157.	श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के नवीं कक्षा के अहताएँ पूरी करने वाले सभी छात्र/छात्राओं को मुख्यमंत्री साईकिल योजना के तहत साईकिल खरीदने के लिए राशि उपलब्ध करायी जाती है ;	स्वीकारात्मक है।
(2) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखण्डान्तर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, रूईधासा के छात्र/छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में सरकार के उक्त योजना से वंचित रखा है ;	अस्वीकारात्मक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में वर्णित विद्यालय उत्क्रमित उच्च विद्यालय रूईधासा में अधियाचित छात्र/छात्राओं को साईकिल योजना के तहत आच्छादित किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में अधियाचित छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के वंचित छात्र/छात्राओं को मुख्यमंत्री साईकिल योजना का लाभ कबतक देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में उत्तर सन्निहित है।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 09/बि0वि0स0–13/2018 125
पटना दिनांक 5/3/2018

प्रतिलिपि : 1. प्रशाखा पदाधिकारी बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञाप/सं0प्र0–2625–26 वि०स० दिनांक 27.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

2. संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा–1 शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता०-535

श्री निरंजन कुमार मेहता, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–131		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
(1)	क्या यह बात सही है कि मधेपूरा जिला के प्रखंड मुरलीगंज में वर्ष–1985 में स्थापित प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, मुरलीगंज का दो कमरें का विद्यालय भवन वर्त्तमान में जर्जर अवस्था में है जिससे वहाँ अध्यापन कार्य प्रभावित होता है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय में माध्यमिक कक्षा हेतु 02 वर्ग कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष एवं दो शौचालय हैं।
(2)	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में मात्र सात शिक्षक एवं शिक्षिका ही पदस्थापित हैं ;	स्वीकारात्मक है।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय पुरलीगंज (मधेपुरा) के जर्जर विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार, अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण एवं विषयवार शिक्षकों के पदस्थापन का विचार कबतक रखती है ?	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–291 दिनांक–24.02.2018 द्वारा राज्य में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन /कमरों का Maping कराने हेतु सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया है, ताकि जीर्णोद्धार हेतु विद्यालयों को चिन्हित कर समेकित रूप से बजटीय उपबन्ध किया जा सके और तदोपरांत जीर्णोद्धार कराया जा सकेगा। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–21199/13 में दिनांक–31.10.2017 को पारित न्यायादेश के तहत जिला परिषद्/नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त नियमावली) (समय–समय पर यथासंशोधित) 2006 नियमावली के नियम–6 एवं 8 को read down कर दिया गया है।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि0स0 05–54/2018 ..५1.6 पटना, दिनांक ..05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के ज्ञाप सं० प्र०–2397–98 दिनांक–23.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता० – 436

श्री निरंजन राम, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–105		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
	क्या यह बात सही है कि भभुआ जिलान्तर्गत मोहनियां प्रखंड के श्री जयराम चुरामन आदर्श उच्च विद्यालय, चौरसिया में चार कमरे का निर्माण विगत तीन वर्षों से अधूरा हैं, जिसके कारण छात्र–छात्राओं को पठन–पाठन में असुविधा होती हैं, यदि हाँ तो सरकार उक्त अर्द्धनिर्मित कमरों का निर्माण कबतक पूर्ण कराने का विचार रखती हैं, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय में 08 वर्ग–कक्ष 01 पुस्तकालय कक्ष उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत उक्त विद्यालय में 01 आर्ट एण्ड क्राफ्ट कक्ष के निर्माण की राशि विद्यालय को उपलब्ध करा दी गयी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, कैमूर ने अपने ज्ञापांक–54 दिनांक–22.02.2018 द्वारा सूचित किया है कि उक्त विद्यालय के नए स्थल (मोहनिया–रामगढ़ मार्ग) पर कुल 08 वर्ग–कक्ष का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें से 04 पूर्ण हैं। विभागीय पत्रांक–342 दिनांक 28.02.2018 द्वारा शेष अपूर्ण 04 वर्ग–कक्ष के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने का अनुरोध जिला पदाधिकारी, कैमूर से किया गया है।

1/3/18
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

<u>शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।</u>

ज्ञापांक 11/वि0स0 5–42/2018 389 पटना, दिनांक 05/3/18....

<u>प्रतिलिपि</u> : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के पत्रांक 2062–63 दिनांक–15.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/3/18
उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता= 537

श्री उपेन्द्र पासवान, स०वि०स० द्वारा दिनांक 06.03.18 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा– 171	माननीय मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
प्रश्न	**उत्तर**
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
(1). क्या यह बात सही है कि बेगुसराय जिलान्तर्गत बखरी अनुमण्डल में डिग्री कॉलेज खोलने की स्वीकृति वर्ष 2012–13 में सरकार के द्वारा दी जा चुकी है, परंतु भवन के अभाव में डिग्री कॉलेज में नामांकन एव पढ़ाई नहीं हो पा रही है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
(2). क्या यह बात सही है कि शकरपुरा उच्च विद्यालय में तत्काल डिग्री कॉलेज से संबंधित पढ़ाई के लिए पर्याप्त कमरा उपलब्ध है ;	कंडिका 2 एवं 3 के संदर्भ में कहना है कि विभागीय पत्रांक 43 दिनांक 30.08.2013 द्वारा बखरी में डिग्री महाविद्यालय निर्माण हेतु योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है। योजना के क्रियान्वयन हेतु आंशिक राशि भी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करा दिया गया है। बखरी अनुमण्डल में डिग्री महाविद्यालय खोलने हेतु रामजानकी ठाकुराबाडी, मक्खाचक की भूमि जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा चयनित की गई है। यह भूमि ठाकुरबाडी की है जिसके हस्तांतरण के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया । बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद द्वारा यह भूमि भूअर्जन के माध्यम से उपलब्ध कराने पर सहमति दी गई है। इस संदर्भ में विभागीय स्तर से नियमानुकूल कार्रवाई हेतु प्रक्रिया चल रही है। जहाँ तक शकरपुरा उच्च विद्यालय डिग्री कॉलेज संचालित करने का प्रश्न है, इसके लिए स्थलीय भ्रमण कर आधारभूत सुविधाओं आदि की उपलबधता की समीक्षोपरांत ही नियमानुकूल निर्णय लिया जा सकेगा।
(3). यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त डिग्री कॉलेज में छात्रों के पढ़ाई के लिए तत्काल शकरपुरा उच्च विद्यालय में नामांकन एवं पढ़ाई की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	

ह०/–
सरकार के उप सचिव

शिक्षा विभाग
शिक्षा विभाग, बिहार

ज्ञापांक 15/ए 3–15/2018–359 पटना, दिनांक 05/3/ 2018

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या 2699–2700 दिनांक 28.02.2018 के प्रसंग में/संसदीय कार्य विभाग, बहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा –1, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/18

सरकार के उप सचिव

ता0-538

श्री प्रभुनाथ प्रसाद, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा –72		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
	क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के चरपोखरी प्रखण्ड के मलौर पंचायत के ग्राम–बैदेकारी में एवं ठकुरी पंचायत के ग्राम लीलारी में मध्य विद्यालय अवस्थित है, परन्तु उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्र/छात्राओं को उच्च विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने हेतु 5 कि0मी0 की दूरी तयकर अन्यत्र स्थान पर जाना पड़ता है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त गाँवों के मध्य विद्यालय को कबतक उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प 1021 दिनांक–05.07.2013 के आलोक में माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना किया जाना है। ग्राम बैदेकोरी, कोयल पंचायत में अवस्थित है, जिसमें पूर्व से उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुम्हैला अवस्थित है। इसी प्रकार ठकुरी पंचायत में भी उच्च विद्यालय घुवडीहा अवस्थित है। उक्त स्थिति में प्रश्नगत मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण करने का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि0स0 05–32/2018 385   पटना, दिनांक 05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के पत्रांक–1586–87 दिनांक–12.08.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

नि-540

श्री जयवर्द्धन यादव, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–190

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(क)	क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दुल्हिन बाजार प्रखंड के ग्राम बेलहौरी के प्राथमिक उर्दू कन्या विद्यालय का भवन पिछले पाँच वर्षों से जीर्ण–शीर्ण रहने के कारण उक्त विद्यालय के छात्राएँ खुले आसमान के नीचे पठन–पाठन को मजबूर हैं, यदि हाँ तो सरकार उक्त विद्यालय का नया भवन का निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि पटना जिलान्तर्गत दुल्हिन बाजार प्रखंड के ग्राम बेलहौरी के प्राथमिक उर्दू कन्या प्राथमिक विद्यालय में कुल 2 कमरा एवं 1 बरामदा निर्मित है। वर्तमान समय में उक्त कमरा अच्छी स्थिति में नहीं है। उक्त विद्यालय में शिक्षकों की संख्या –02, नामांकित बच्चों की संख्या– 60, 02 शौचालय एवं पेयजल उपलब्ध है। उक्त विद्यालय का कुल रकवा 2048 वर्गफीट जिसमें 1365 वर्गफीट पर भवन निर्माण है। विद्यालय परिसर में खुली भूमि का रकवा 683 वर्गफीट है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त विद्यालय के लिए भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत नहीं है। राशि स्वीकृत होने के उपरांत भवन निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01–42/2018......206....../ पटना, दिनांक 05/03/18/

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ता- 541

श्री (डॉ0) विनोद प्रसाद यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 06.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा– 65	माननीय मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, बतलाने की कृपा करेंगे की	
(1). क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत शेरघाटी अनुमण्डलीय मुख्यालय में श्री महंथ शतानन्द गिरी कॉलेज, शेरघाटी अवस्थित है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
(2) क्या यह बात सही है कि कॉलेज में वाणिज्य की पढ़ाई नहीं होने एवं जंतु विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र के व्याख्याता नहीं रहने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुतः किसी महाविद्यालय में किसी विषय की पढ़ाई विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 4 के तहत विश्वविद्यालय ही सक्षम प्राधिकार है। प्रश्नाधीन महाविद्यालय में वाणिज्य की पढ़ाई हेतु आधारभूत सुविधाओं आदि की उपलब्धता की समीक्षोपरांत यदि विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होता है तो इसपर नियमानुकूल निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जा सकेगा। जहाँ तक जंतु विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र एवं अर्थशास्त्र विषय में व्याख्याता नहीं रहने का प्रश्न है, इस संदर्भ में कहना कि विश्वविद्यालय के प्रतिवेदनानुसार इस महाविद्यालय में दर्शनशास्त्र विषय में नये शिक्षक की नियुक्ति हुई है। विभागीय पत्रांक 336 दिनांक 01.03.2018 द्वारा विश्वविद्यालय को इस महाविद्यालय में अन्य विषयों की शिक्षकों की पदस्थापना हेतु निदेशित किया गया है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार श्री महंथ शतानन्द गिरी कॉलेज, शेरघाटी में विषयवार व्याख्याताओं की पदस्थापन एवं वाणिज्य की पढ़ाई शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर उपर्युक्त खण्ड 1 एवं 2 में सन्निहित है।

ह0/–
सरकार के उप सचिव
शिक्षा विभाग

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार

ज्ञापांक 15/ए 3–02/2018 – 356 पटना, दिनांक 05/3/ 2018

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या 1572–73 दिनांक 12.03.2018 के प्रसंग में/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा –1, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/18

सरकार के उप सचिव

Vidhan Sabha question answer 2018

ता0-543

श्री रामचन्द्र सहनी, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–149		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
(1)	क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत प्रखण्ड–सुगौली के मध्य विद्यालय, भटहाँ से उच्च विद्यालयों की दूरी 6–7 कि०मी० से अधिक होने के कारण नामांकित छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु दूर जाना पड़ता है ;	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प 1021 दिनांक–05.07.2013 में निहित प्रावधान के आलोक में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाती है। अतः उक्त पंचायत के संदर्भ में जिला स्तरीय समिति से याचित अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत प्रश्नगत पंचायत के मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
(2)	क्या यह बात सही है कि मध्य विद्यालय, भटहाँ उच्च विद्यालय में उत्क्रमित होने की सारी वांछित शर्तें पूरी करता है ;	
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त वर्णित मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में कबतक उत्क्रमित करने का वचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	

(हस्ताक्षर) 1/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि0स0 05–56/2018 367 पटना, दिनांक 05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के ज्ञाप सं० प्र०–2482–2483 दिनांक 26.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 1/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता.-545

श्री संजय सरावगी, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–125

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(क)	क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के प्राथमिक विद्यालयों सहित राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 530773 नामांकित बच्चों में से 526235 बच्चे अक्टूबर 2017 में आयोजित अर्द्धवार्षिक परीक्षा में शामिल हुए;	वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिला के प्राथमिक विद्यालय सहित राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 626232 (छः लाख छब्बीस हजार दो सौ बत्तीस) नामांकित बच्चों में से 530753 (पाँच लाख तीस हजार सात सौ तिरपन) बच्चे अक्टूबर, 2017 में आयोजित अर्द्धवार्षिक परीक्षा में शामिल हुए हैं।
(ख)	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ विद्यार्थियों में से कुल मिलाकर 329000 छात्रों को सी0, डी0 एवं ई ग्रेड प्राप्त हुआ है और इन्हें लर्निंग डेफिसिट वाला बच्चा माना गया है;	ग्रेड सी0, डी0 एवं ई0 प्राप्त करनेवाले बच्चों की कुल संख्या 332781 (तीन लाख बत्तीस हजार सात सौ इकासी) है। मूल्यांकन के क्रम में इन बच्चों के लर्निंग डेफिसिट को चिन्हित किया गया है।
(ग)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार खण्ड (2) में वर्णित लर्निंग डेफिसिट वाले बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए कौन सी कारगर कदम उठाने का विचार रखती है?	ग्रेड सी0, डी0 एवं ई0 वाले बच्चों के लर्निंग डेफिसिट को दूर करने के लिए विशेष शिक्षण/उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था कराने हेतु सभी जिला को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् कार्यालय के पत्रांक 248 दिनांक 16.01.2018 द्वारा निदेशित किया गया है।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01–29/2018 299 / पटना, दिनांक 05/03/18

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

AT-549

माननीय श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०–शिक्षा–185

क्र० सं०	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा दिये जाने वाला उत्तर:–
(1)	क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार वर्ष–2013 में 34540 शिक्षकों का चयन किया गया, जिसमें दरभंगा जिला के मो० फिरदौस सहित 09 अभ्यर्थी थे ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2012 में 34540 कोटि के शिक्षकों का चयन किया गया था। दरभंगा जिला में 140 उर्दू शिक्षकों का पद आवंटित था जिसके विरुद्ध 135 उर्दू शिक्षकों की बहाली वर्ष 2012 में की गयी थी। पुनः विभागीय पत्रांक–579 दिनांक–27.05.2015 के आलोक में एक उर्दू शिक्षिका की बहाली 2015 में की गयी। इस प्रकार मात्र 04 उर्दू शिक्षकों का पद रिक्त है। विदित हो कि विभागीय पत्रांक–64 दिनांक–18.01. 2012 के द्वारा उर्दू विषय के अभ्यर्थियों की सूची में मो० फिरदौस का नाम अंकित नहीं रहने के कारण इनका कांसिलिंग ही नहीं कराया गया है।
(2)	क्या यह बात सही है कि इन 09 अभ्यर्थियों का कॉन्सिलिंग इनके गृह जिला में प्राथमिक शिक्षक उर्दू के पद पर नियुक्ति हेतु की गयी, लेकिन चयन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इनकी बी० एड० की डिग्री एस० वकील अहमद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुर्गियाचक, दरभंगा की थी ;	
(3)	क्या यह बात सही है कि पटना उच्च न्यायालय ने सी०डब्लू०जे० सी० नं०–13108/2016 एवं सी० डब्लू० जे० सी० नं०–20826/2000 में पारित आदेश के द्वारा वर्णित प्रशिक्षण महाविद्यालय के बी० एड० की डिग्री को वैध बताया है ;	
(4)	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मो० फिरदौस सहित 09 अभ्यर्थियों को प्रा० शिक्षक उर्दू के पद पर नियुक्त करने का विचार रखती है।	इस खंड का उत्तर उपर्युक्त कंडिका में सन्निहित है।

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–7/वि० मं01–18/2018 235 पटना/दिनांक– 05/03/18 /

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान–सभा को उनके पत्रांक–2695–96 दिनांक–28.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–7/वि० मं01–18/2018 235 पटना/दिनांक– 05/03/18 /

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी–1 शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

तारां०-550

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, स०वि०स० द्वारा चलते / अगामी में तिथि 06 / 03 / 2018 को पूछा जानेवाला तारंकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–62 का उत्तर सामग्री।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	डा० कृष्णनन्दन वर्मा , माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
(1) क्या यह बात सही है कि जिला गोपालगंज के हथुआ में सैनिक स्कूल हथुआ महाराज के मकान में कार्यरत है जो जर्जर स्थिति में है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि सैनिक स्कूल, हथुआ का भवन गोपालगंज के सिपाया में बनकर तैयार है;	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि० से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि सैनिक स्कूल गोपालगंज के निर्माण कार्य के अन्तर्गत एक तीन मंजिला प्रशासनिक भवन, एक तीन मंजिला छात्रावास भवन (225 छात्रों के लिये) एवं एक दो मंजिला कैडेट मेस (Cadet Mess) के साथ–साथ पेय जल हेतु बोरिंग एवं चहारदीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। दिनांक–28.02.2018 को विभागीय स्तर पर निर्णय लिया गया है कि मुख्य अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना प्राचार्य सैनिक स्कूल, गोपालगंज से संपर्क स्थापित कर प्रथम चरण मे निर्मित विद्यालय भवनों में मूलभूत आवश्यकता का प्रतिपूर्ति करते हुए प्राचार्य को भवन हस्तगत करायेंगे, जिससे नवनिर्मित भवनों में पठन–पाठन प्रारंभ किया जा सके।
(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार सिपाया में निर्मित्त भवन में सैनिक स्कूल, हथुआ को स्थानान्तरित करने की विचार रखती है, नहीं तो क्यो ?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त खण्ड में सन्निहित है।

ह०/–
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 10 / वि० स0–06 / 2018–290 पटना दिनांक 05/03/2018

प्रतिलिपि : 1. प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक–1566–67 वि०स० दिनांक 12.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

2. उप सचिव संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना / प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा–1 शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

नि- 551

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान, माननीय, स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–110

	प्रश्न	उत्तर
	स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 10.12. 2017 को प्रकाशित "राशि रहते हुए शौचालय का निर्माण अधूरा" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(क)	क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के विभिन्न स्कूलों में 258 शौचालय निर्माण के लिए प्रति शौचालय 80 हजार रूपये नवम्बर, 2017 में दी गई है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
(ख)	क्या यह बात सही है कि परियोजना के सहायक इंजीनियर द्वारा कार्य प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि 50 प्रतिशत शौचालय का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला के विभिन्न विद्यालयों में 68 शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण है, 188 शौचालय निर्माणाधीन है। शेष 02 शौचालय का भूमि एवं विद्यालय शिक्षा समिति के विवाद के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।
(ग)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्कूलों का शौचालय निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर उपर्युक्त कंडिका में सन्निहित है।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01–26/2018 295 /

पटना, दिनांक 05/03/18

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ता. - 552

श्री मनोज कुमार, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–139

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(क)	क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह प्रखंड, पंचायत–वेरका, ग्राम–पुनदौल में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति के पश्चात स्थल चयनित नहीं होने के कारण विद्यालय भवन के अभाव में शिक्षण कार्य सामुदायिक भवन में हो रहा है, यदि हाँ तो सरकार उचित स्थान चयनित कर उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह, प्रखण्ड–वेरका, ग्राम–पुनदौल में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय है, जिसका भवन निर्माण हेतु राशि निर्गत किया गया था। स्थल विवाद होने के कारण विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा राशि बिहार शिक्षा परियोजना, औरंगाबाद को वापस कर दी गई। अंचलाधिकारी, गोह के द्वारा स्थल का एन.ओ.सी. उपलब्ध होने के उपरांत भवन निर्माण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01–36/2018 292 /   पटना, दिनांक 05/03/18

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

NT-556

माननीय श्री दिनकर राम, स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०-शिक्षा-178

क्र० सं०	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा दिये जाने वाला उत्तर:-
(1)	क्या यह बात सही है कि अप्रशिक्षित सरकारी शिक्षक को राष्ट्रीय विद्यालय मुक्त संस्थान से प्रशिक्षण सत्र 2017-2019 में प्रशिक्षित कराया जा रहा है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
(2)	क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के कई अप्रशिक्षित सरकारी शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर प्रशिक्षण शुल्क जमा किये परन्तु ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत विद्यालय प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापन नहीं किये जाने के कारण श्री बिरेन्द्र राम, प्राथमिक विद्यालय मसहा आलम, सीतामढ़ी सहित कई शिक्षकों को इनरोलमेंट नम्बर प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण वे प्रशिक्षण शुल्क जमा करने के बावजूद प्रधानाध्यापक के कारण प्रशिक्षण से वंचित है ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि श्री बिरेन्द्र राम, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय मसहा आलम बैरगनिया, सीतामढ़ी का NIOS प्रशिक्षण से संबंधित आवेदन का सत्यापन प्रधानाध्यापक, प्रा० वि०, मसहा आलम द्वारा किया जा चुका है। श्री बिरेन्द्र राम का NIOS में Enrolment .no-10040800301002 तथा Reference no-D100403086 है।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त कारण से प्रशिक्षण से वंचित शिक्षक को कबतक प्रशिक्षण दिलाने की विचार रखती है, नही तो क्यों ?	इस खंड का उत्तर उपर्युक्त कंडिका में सन्निहित है।

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक-7/वि० सं01-19/2018 234 पटना/दिनांक- 05/03/18 /

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा को उनके पत्रांक-2617-18 दिनांक-22.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक-7/वि० सं01-19/2018 234 पटना/दिनांक- 05/03/18 /

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी-1 शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

तारां०-557

श्री सत्यदेव राम, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–193		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
(1)	क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के मेरवां स्थित मिश्रीसदा इन्टर कॉलेज को अनुदान की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत मिश्रीसदा इंटर कॉलेज मैरवां सिवान में प्राचार्य को लेकर वर्षो से विवाद चला आ रहा है। इस संबंध में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमण्डल, छपरा के पत्रांक–142 दिनांक 05.08.2015 एवं पत्रांक–30, दिनांक 20.1.2016 के द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख है कि महाविद्यालय में वर्षो से पठन–पाठन का कार्य बाधित है। महाविद्यालय पर दावे को लेकर तीन गुट अलग–अलग ढ़ंग से सक्रिय है। फलस्वरूप माननीय न्यायालय में CWJC No–18810/2011, 11863/2013 एवं 757/2009 तथा सिवान व्यवहार न्यायालय में 709/2009 एवं MISC 11/2010 निर्णयाधीन है।
(2)	क्या यह बात सही है कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0–12357/2013 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2013 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने अनुदान की राशि देने संबंधी आदेश के बावजूद अभी तक भुगतान नहीं किया गया है;	
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो उक्त कॉलेज को अनुदान की राशि कबतक भुगतान करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	अतएव माननीय न्यायालय से उक्त मामले में अंतिम रूप से निष्पादनोपरान्त अनुदान विमुक्ति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/वि0स0 5–85/2018 427 पटना, दिनांक 05/3/18

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बि0वि0स0 (के पत्रांक–2709–10 दिनांक–28.02.2018 के आलोक में) /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/18

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।